[2019] 17 एस. सी. आर. 559

मेसर्स एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड।

वी.

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

(2019 की सिविल अपील संख्या 9170)

3 दिसंबर, 2019

[आर. एफ. नरीमन, अनिरुद्ध बोस और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

भारत का संविधानः कलाएँ। 226 / 227- हस्तक्षेप का दायरा एक के खिलाफ शुरू की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

निगमित देनदार-निगमित देनदार के पास कर्नाटक सरकार द्वारा दिया गया एक खनन पट्टा था जिसकी अवधि समाप्त होने वाली थी पेशेवर ने पट्टे के मानित विस्तार का लाभ मांगा-राज्य सरकार ने खनन पट्टे के मानित विस्तार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया उक्त आदेश को समाधान पेशेवर ने चुनौती दी

एन. सी. एल. टी. ने राज्य सरकार के आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि यह एस के संदर्भ में घोषित अधिस्थगन का उल्लंघन था। 14 (1) आई. बी. सी., 2016 का गठन किया और राज्य सरकार को निगमित ऋणदाता के पक्ष में पट्टा कार्य निष्पादित करने का निर्देश दिया-विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने एन. सी. एल. टी. के आदेश में निहित निर्देशों के संचालन पर रोक लगा दी-क्या उच्च न्यायालय को इसके तहत हस्तक्षेप करना चाहिए था।

एन. सी. एल. ए. टी. को अपील करने के लिए एक वैधानिक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद, आई. बी. सी., 2016 के तहत कार्यवाही में एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित एक आदेश के साथ संविधान का Art.226/227-आयोजितः द.

पट्टा के मानित विस्तार के लाभ को अस्वीकार करने का राज्य सरकार का निर्णय सार्वजनिक कानून के दायरे में है और इसलिए उक्त निर्णय की शुद्धता पर ही सवाल उठाया जा सकता है

एक उच्च न्यायालय में जो प्रशासनिक कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ निहित है-एन. सी. एल. टी., कुछ विशिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए एक विशेष क़ानून का एक प्राणी होने के नाते, इस तरह की शक्तियों वाले एक उच्च न्यायालय के दर्जे तक नहीं बढ़ाया जा सकता है-एन. सी. एल. टी. एक दीवानी न्यायालय भी नहीं है, जिसके पास सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, सिवाय उन मुकदमों के, जिनमें उनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है-इसलिए एन. सी. एल. टी. कानून द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा के भीतर केवल ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जिसके संबंध में कानून, जिसे प्रशासित करने के लिए कहा जाता है-हालांकि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के पास धोखाधड़ी के प्रश्नों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है, उनके पास ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 और उसके तहत जारी नियमों के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेना, विशेष रूप से जब विवाद वैधानिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के निर्णयों के इर्द-गिर्द घूमते हैं, जिन्हें केवल न्यायिक समीक्षा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है।

प्रशासनिक कार्रवाई-एस में अधिस्थगन प्रदान किया गया। 14 पट्टा के विस्तार से इनकार करने के सरकार के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है अधिस्थगन का उद्देश्य केवल यथास्थिति बनाए रखना है और एक नया अधिकार बनाना नहीं है-इसलिए, एन. सी. एल. टी. के पास इसके खिलाफ एक आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।

खनन पट्टा के विस्तार के लिए पूरक पट्टा विलेखों को निष्पादित करने के निर्देश के लिए राज्य सरकार-चूंकि एन. सी. एल. टी. ने कानून में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का विकल्प चुना, इसलिए उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार करने में इस आधार पर उचित ठहराया गया कि एन. सी. एल. टी. गैर-न्यायिक था-खान और खनिज (विकास और विकास)

विनियमन) अधिनियम, 1957-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-न्यायिक समीक्षा।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: आई. बी. सी., 2016 के प्रावधानों के तहत एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के दायरे और प्रकृति पर चर्चा की गई।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: क्या आई. बी. सी. संहिता के तहत शुरू की गई कार्यवाही में एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा धोखाधड़ी के प्रश्नों की जांच की जा सकती है-आयोजितः एनसीएलटी ने

धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र-एक परिणाम के रूप में, एन. सी. एल. ए. टी. के पास भी अधिकार क्षेत्र होगा-सी. आई. आर. पी. की धोखाधड़ी की शुरुआत एस. में प्रदान की गई अपील के वैकल्पिक उपचार को दरकिनार करने का आधार नहीं हो सकती है। 61 .

भारत का संविधानः कलाएँ। 226 / 227 व्यायाम

अधिकारिता, अपवाद-ऐसे मामलों में जहां अपील का एक वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, उच्च न्यायालय के स्व-अधिरोपित प्रतिबंध के अपवादों में से एक वैधानिक/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण की ओर से अधिकार क्षेत्र की कमी है, जिसके आदेश के खिलाफ न्यायिक समीक्षा की मांग की जाती है-पारंपरिक रूप से, अंग्रेजी अदालतों ने उन मामलों के बीच अंतर बनाए रखा जहां एक वैधानिक/अर्ध न्यायिक प्राधिकरण ने कानून में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है। और ऐसे मामले जहां उपलब्ध अधिकार क्षेत्र का गलत प्रयोग किया गया था-अधिकार क्षेत्र की कमी और उपलब्ध अधिकार क्षेत्र के गलत प्रयोग के बीच का अंतर निश्चित रूप से होना चाहिए

उच्च न्यायालयों द्वारा ध्यान में रखा जाता है, जब Art.226 को मैसर्स एम्बेसी प्रॉपर्टी डिवेलपमेंट्स पी. वी. टी. माना जाता है।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य

एक द्वारा प्रदान किए गए वैधानिक वैकल्पिक उपचार को दरकिनार करते हुए लागू किया गया विशेष कानून।

भारत का संविधानः कलाएँ। 226 / 227- Art.226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का क्षेत्राधिकार और प्रकृति

संविधान पर चर्चा की गई। भारत का संविधानः कलाएँ। 226 / 227 - निजी व्यक्तियों पर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का दायरा-आयोजितः उपयोग को देखते हुए

Art.226 (1) में "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति की, उच्च न्यायालय की अधिकारिता निजी व्यक्तियों पर भी फैली हुई है, बशर्ते कि ऐसे निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए कर्तव्यों की प्रकृति,

इसलिए, Art.226 के तहत प्रदान किए गए उपचार सार्वजनिक कानून उपचार हैं, जो निजी कानून में उपलब्ध उपचारों के विपरीत हैं।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957: अधिनियमन का उद्देश्य-चर्चा-भारत का संविधान -

सातवीं अनुसूची-संघ सूची-प्रविष्टि 54। कंपनी अधिनियम, 2013: एसएस। 408 , 410 - एन. सी. एल. टी.-एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का गठन आई. बी. सी. के तहत नहीं किया जाता है।

2016 लेकिन एसएस के तहत। 408 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 - एसएस। 420 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 424 व्यापक रूप से केवल एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का संकेत देती है।

आदेश पारित करने से पहले-हालाँकि, कंपनी अधिनियम में कोई अलग प्रावधान नहीं हैं, जो विशेष रूप से एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से संबंधित हैं-इसके विपरीत, धाराओं की उप-धाराएँ (4) और (5)। 60 आई. बी. सी., 2016 क्रमशः शक्तियों के बारे में संकेत देता है और

एन. सी. एल. टी. की अधिकारिता-धाराओं की उप-धारा (4)। 60 आई. बी. सी., 2016 में कहा गया है कि एन. सी. एल. टी. के पास डी. आर. टी. की सभी शक्तियां होंगी

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की उप धारा (2) के प्रयोजनों के लिए संहिता के भाग III के तहत विचार किया गया - एस. 60. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: एसएस। 60 , 179 – एस के तहत। 179 (1) , यह डी. आर. टी. है जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण है।

व्यक्तियों और फर्मों के दिवाला मामलों के संबंध में-यह एस के विपरीत है। 60 (1) जो एन. सी. एल. टी. को दिवाला समाधान और निगमित कर्जदारों और व्यक्तिगत सहित निगमित व्यक्तियों के परिसमापन के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।

गारंटर एस की उप-धारा (2) का उद्देश्य। 60 एस के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी भ्रम से बचने के लिए है। 179 (1) और यह सुनिश्चित करने के लिए कि [2019] 17 एस. सी. आर.

जब भी किसी कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू की जाती है, तो एन. सी. एल. टी. न केवल ऐसे कॉर्पोरेट के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण होगा। ऋणी, लेकिन उस व्यक्ति के संबंध में भी जो एस के तहत डी. आर. टी. के नामकरण के बावजूद, ऐसे कॉर्पोरेट ऋणी के लिए मुचलके के रूप में खड़ा था। 179 (1) व्यक्तियों के दिवाला समाधान के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 यह किसी भी संदेह से परे है कि आई. बी. सी., 2016 अपने आप में एक पूर्ण कोड है। यह एक विस्तृत कोड है निगमित संस्थाओं और अन्य के संबंध में दिवाला का विषय। यह भी सच है कि आई. बी. सी., 2016 एक एकल एकीकृत छतरी संहिता है, जिसमें निगमित व्यक्तियों और अन्य लोगों के दिवालिया होने के समाधान से संबंधित कानून के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

तरीके से। संहिता एक तीन स्तरीय तंत्र प्रदान करती है, अर्थात् (i) एन. सी. एल. टी., जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण है, (ii) एन. सी. एल. ए. टी. जो अपीलीय प्राधिकरण है और (iii) यह न्यायालय अंतिम प्राधिकरण के रूप में, उन सभी मुद्दों से निपटने के लिए जो कॉर्पोरेट के पुनर्गठन और दिवालिया समाधान के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं। लोग। जहाँ तक निगमित ऋणदाताओं और व्यक्तिगत गारंटरों के दिवाला समाधान का संबंध है, एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित कोई भी आदेश आई. बी. सी., 2016 की धारा 61 के तहत एन. सी. एल. ए. टी. को अपील करने योग्य है और एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश धारा 62 के तहत इस अदालत के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हैं। [पैरा 11] [578-डी-जी]

1.2 अनुच्छेद 226 (1) प्रत्येक उच्च की शक्ति को मान्यता देता है।

सरकार। उन्हें (i) भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए और (ii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 226 के खंड (1) द्वारा मान्यता प्राप्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित है, जो या तो इसकी भौगोलिक स्थिति या स्थान द्वारा निर्धारित किया जाता है।

जहाँ कार्रवाई का कारण, पूर्ण या आंशिक रूप से, उत्पन्न हुआ। जबकि उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई शक्ति की प्रकृति अनुच्छेद 226 के खंड (1) में वर्णित है, ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता, अनुच्छेद 226 के खंड (1) और (2) दोनों में वर्णित है।

[पैरा 13] [579-बी-डी] एम/एस एम्बेसी संपत्ति विकास पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य

मेसर्स इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक, एआईआर 2017 एससी 4084 [2017] 8 एससीआर 33-पर भरोसा किया।

1.3 परंपरागत रूप से, अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र को यह सुनिश्चित करने तक सीमित माना जाता था कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण या प्रशासनिक निकाय अपनी शक्तियों का प्रयोग न करें।

उनकी वैधानिक सीमाओं से अधिक। लेकिन अनुच्छेद 226 (1) में "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, अदालतों ने माना कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निजी व्यक्तियों पर भी विस्तारित है, बशर्ते कि ऐसे निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए कर्तव्यों की प्रकृति सार्वजनिक हो। इसलिए, अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किए गए उपचार सार्वजनिक कानून उपचार हैं, जो निजी कानून में उपलब्ध उपचारों के विपरीत हैं। उच्च न्यायालयों के स्व-अधिरोपित प्रतिबंध के लिए अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवादों में से एक, उन मामलों में जहां अपील का एक वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, वैधानिक/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण की ओर से अधिकार क्षेत्र की कमी है, जिसके आदेश के खिलाफ न्यायिक समीक्षा की मांग की जाती है। [पारस 14,15] [579-ई-जी]

नीलाबती बेहरा @बबीता बेहरा बनाम। उड़ीसा राज्य (1993) 2 एससीसी 746: [1993] 2 एस. सी. आर. 581 पर भरोसा किया।

2. क्या कर्नाटक राज्य का मामला (1) एन. सी. एल. टी. की ओर से एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 और उसके तहत जारी सांविधिक नियमों के अंतर्गत आने वाले मामले के संबंध में निर्देश जारी करने के लिए अधिकार क्षेत्र की कमी या (2) किसी मान्यता प्राप्त अधिकार क्षेत्र का मात्र गलत प्रयोग की श्रेणी में आता है। हाथ के मामले में, जो भूमि खनन पट्टे की विषय वस्तु थी, वह कर्नाटक राज्य की है। कर्नाटक सरकार द्वारा खनन पट्टे के तहत निगमित ऋणदाता को दी गई स्वतंत्रता और विशेषाधिकारों को खनन पट्टे के भाग IV में चित्रित किया गया है। खनन पट्टा खनिज रियायत नियम, 1960 नामक वैधानिक नियमों के अनुसार जारी किया गया था। इसलिए, खनन पट्टे के तहत कॉर्पोरेट देनदार और कर्नाटक सरकार के बीच संबंध न केवल संविदात्मक है, बल्कि सांविधिक रूप से भी शासित है। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 एक संसदीय अधिनियम है जिसका पता सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 54 से लगाया जा सकता है। यह प्रविष्टि 54 खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के बारे में बताती है जिस हद तक इस तरह के विनियमन और विकास [2019] 17 एस. सी. आर. के नियंत्रण में हैं।

संसद द्वारा कानून द्वारा संघ को समीचीन घोषित किया गया है जनहित। वास्तव में "जनहित" अभिव्यक्ति का उपयोग सूची I में 97 प्रविष्टियों में से केवल 3 में किया जाता है, जिनमें से एक प्रविष्टि 54 है, अन्य दो प्रविष्टियां 52 और 56 हैं। दिलचस्प बात यह है कि सूची II में प्रविष्टि 23

यह "जनहित" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करता है, हालांकि यह खानों और खनिज विकास के विनियमन से भी संबंधित है, जो सूची I के प्रावधानों के अधीन है। यह "जनहित" का यह तत्व है जो एक घोषणा के रूप में एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 की धारा 2 में स्थान पाता है। इसलिए पट्टे के मानित विस्तार के लाभ से इनकार करने का कर्नाटक सरकार का निर्णय सार्वजनिक कानून के दायरे में है और इसलिए उक्त निर्णय की शुद्धता पर केवल उच्च न्यायालय में ही सवाल उठाया जा सकता है

कुछ विशिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए कानून, न्यायिक शक्ति रखने वाले उच्च न्यायालय के दर्जे तक नहीं बढ़ाया जा सकता है प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, एक उच्च कानून, अर्थात् संविधान की अवधारणा से प्रवाहित होती है। एनसीएलटी है

यहां तक कि कोई सिविल न्यायालय भी नहीं, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के आधार पर सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, सिवाय उन मुकदमों के, जिनमें से उनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है। इसलिए एन. सी. एल. टी. केवल इस तरह का अभ्यास कर सकता है। कानून द्वारा निर्धारित अधिकारिता की रूपरेखा के भीतर शक्तियाँ, जिसके संबंध में कानून से यह आह्वान किया जाता है -

प्रबंध करें। [पारस 25,27,29] [585-बी-जी; 586-ए-बी-एफ]

उप-न्यायिक जवाबदेही समिति v. संघ का

भारत (1991) 4 एस. सी. सी. 699-पर निर्भर था।

थ्रेसियाम्मा जैकब बनाम। विभाग. खनन और भूविज्ञान (2013) 9 एस. सी. सी. 725: [2013] 7 एस. सी. आर. 863 निर्दिष्ट है।
3. एन. सी. एल. टी. की अधिकारिता और शक्तियाँ

3.1 एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. का गठन आई. बी. सी., 2016 के तहत नहीं बल्कि कंपनी अधिनियम की धारा 408 और 410 के तहत किया गया है।

2013. एन. सी. एल. टी. की शक्तियों और कार्यों को विशेष रूप से परिभाषित किए बिना, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 में केवल यह कहा गया है कि केंद्र सरकार ऐसी शक्तियों का प्रयोग और निर्वहन करने के लिए एक राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन करेगी और

कंपनी अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत जो कार्य प्रदान किए गए हैं या किए जा सकते हैं।

मैसर्स एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य

जहां तक एन. सी. एल. ए. टी. का संबंध है, कंपनी अधिनियम की धारा 410 में केवल यह कहा गया है कि केंद्र सरकार न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करेगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले पूरे कंपनी अधिनियम में फैले हुए हैं। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 420 और 424 व्यापक शब्दों में, आदेश पारित करने से पहले केवल एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का संकेत देती हैं। हालांकि, इसमें कोई अलग प्रावधान नहीं हैं

कंपनी अधिनियम, विशेष रूप से एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से संबंधित है। इसके विपरीत, आई. बी. सी., 2016 की धारा 60 की उप-धारा (4) और (5) क्रमशः शक्तियों के बारे में संकेत देती हैं।

और एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र। [पारस 30,31] [586-जी; 587-ए-डी]

3.2 आई. बी. सी., 2016 की धारा 60 की उप-धारा (4) में कहा गया है कि एन. सी. एल. टी. के पास डी. आर. टी. की सभी शक्तियां होंगी जैसा कि विचार किया गया है।

उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए संहिता के भाग III के तहत। उप-धारा (2) एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां किसी निगमित देनदार के निगमित गारंटर या व्यक्तिगत गारंटर का दिवालिया समाधान या परिसमापन या दिवालियापन लिया जाता है, जब

ऐसे निगमित देनदार की सी. आई. आर. पी. या परिसमापन कार्यवाही है -

पहले से ही एन. सी. एल. टी. के समक्ष लंबित है। उप-धारा (2) का उद्देश्य सी. आई. आर. पी. या परिसमापन कार्यवाही को एक साथ समूहबद्ध करना है।

दोनों के साथ। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एक कॉर्पोरेट देनदार का सी. आई. आर. पी. और एक ही कॉर्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटरों का दिवालिया समाधान अलग-अलग रास्तों पर आगे न बढ़े। विभिन्न मंचों से पहले, हितों, स्थितियों या निर्णयों के टकराव की ओर ले जाता है। [पैरा 32] [588-एफ-एच; 589-ए]

3.3 यदि धारा 60 की उप-धारा (2) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगमित देनदार का दिवालिया संकल्प

और इसके गारंटरों से एक साथ निपटा जाता है, फिर जो सवाल उठता है वह यह है कि इसकी शक्तियों का संदर्भ क्यों होना चाहिए

उप-धारा (4) में डी. आर. टी.। इस प्रश्न का उत्तर आई. बी. सी., 2016 की धारा 17 में पाया जा सकता है। धारा 17 9 (1) के तहत, यह डी. आर. टी. है जो इस संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण है -

व्यक्तियों और फर्मों के दिवाला मामले। यह इसके विपरीत [2019] 17 एस. सी. आर. है।

धारा 60 (1), जो एन. सी. एल. टी. को दिवाला समाधान और निगमित ऋणदाताओं और व्यक्तिगत गारंटरों सहित निगमित व्यक्तियों के परिसमापन के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में नामित करती है। "व्यक्तिगत गारंटर" शब्द को धारा 5 (22) में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक कॉर्पोरेट देनदार को गारंटी के अनुबंध में मुचलका है। इसलिए धारा 60 की उप-धारा (2) का उद्देश्य धारा 17 9 (1) के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी भ्रम से बचना और यह सुनिश्चित करना है कि जब भी किसी निगमित देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू की जाए, तो एन. सी. एल. टी.

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण न केवल ऐसे निगमित देनदार के संबंध में बल्कि उस व्यक्ति के संबंध में भी होगा जो खड़ा था

व्यक्तियों के दिवाला समाधान के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में डी. आर. टी. के नाम के बावजूद, ऐसे निगमित देनदार को प्रतिभूति के रूप में। यही कारण है कि धारा 60 की उप धारा (2) में "इसके बावजूद" वाक्यांश का उपयोग किया गया है।

इस संहिता में निहित इसके विपरीत कुछ भी "। [पैरा 33] [589 बी-ई] 3.4 धारा179 की उप-धारा (2) डी. आर. टी. को (i) किसी वाद या कार्यवाही को स्वीकार करने और उसका निपटारा करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।

व्यक्तिगत ऋणी के विरुद्ध (ii) व्यक्तिगत ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दावा और (iii) प्राथमिकताओं का कोई प्रश्न या कोई अन्य

अन्य प्रश्न कि क्या व्यक्तिगत देनदार की दिवालियापन और दिवालियापन से उत्पन्न होने वाले कानून या तथ्यों के बारे में है। खंड

— निगमित देनदार के संबंध में धारा 60 की उप-धारा (5) के खंड (ए), (बी) और (सी), (2) लेकिन उन पर विचार करने और उनका निपटान करने के लिए भी धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट मामले, जब भी धारा 60 (2) में बताई गई आकस्मिकता उत्पन्न होती है। [पैरा 34] [589-एफ-एच]

3.5 धारा 60 की उप-धारा (4) और उप-धारा (2) को धारा179 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है।

इस सवाल की कुंजी कि क्या एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और वहां जारी नियमों के तहत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र होगा।

नीचे। एकमात्र प्रावधान जो संभवतः इस मैसर्स एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पी. वी. टी. पर प्रकाश डाल सकता है।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य

प्रश्न धारा 60 की उप-धारा (5) होगी, क्योंकि यह एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताता है। धारा 60 की उप-धारा (5) का खंड (सी) अपने विस्तार में बहुत व्यापक है, जिसमें यह कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न के बारे में बात करता है, जो इससे या उसके संबंध में उत्पन्न होता है दिवाला समाधान। लेकिन सरकार या किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे मामले के संबंध में लिया गया निर्णय जो

3.6 यदि एन. सी. एल. टी. को निगमित देनदार की संपत्ति पर सभी प्रकार के दावों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है, तो धारा 18 (एफ) (vi) किसी संपत्ति का नियंत्रण और अभिरक्षा लेने में अंतरिम समाधान पेशेवर का कार्य नहीं बनाती। निगमित देनदार के पास स्वामित्व के अधिकार हैं, जो अदालत या अन्य प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व के निर्धारण के अधीन हैं। वास्तव में किसी तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली संपत्ति, लेकिन जो संविदात्मक व्यवस्थाओं के तहत निगमित देनदार के कब्जे में है,

विशेष रूप से "परिसंपत्तियाँ" शब्द की परिभाषा से बाहर रखा गया

धारा 18 का स्पष्टीकरण। धारा 20 में प्रयुक्त भाषा के विपरीत धारा 18 और 25 में प्रयुक्त भाषा को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है। धारा 18 के बारे में बात करता है

अंतरिम समाधान पेशेवर के कर्तव्य और धारा 25 समाधान पेशेवर के कर्तव्यों के बारे में बात करती है। ये दोनों

न्यायिक, अर्ध-न्यायिक में निगमित देनदार के लाभ के लिए और मध्यस्थता कार्यवाही। जहाँ कहीं भी निगमित देनदार को न्यायिक, अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में अधिकारों का प्रयोग करना पड़ता है, समाधान पेशेवर इसे शॉर्ट-सर्किट नहीं कर सकता है और धारा 60 (5) का लाभ उठाते हुए एन. सी. एल. टी. के समक्ष दावा नहीं कर सकता है। इसलिए आई. बी. सी., 2016 के विभिन्न प्रावधानों से निकाली गई वैधानिक योजना के आलोक में यह स्पष्ट है कि जहां भी निगमित देनदार को आई. बी. सी., 2016 के दायरे से बाहर आने वाले अधिकार का प्रयोग करना है, विशेष रूप से जनता के दायरे में [2019] 17 एस. सी. आर.

कानून, वे समाधान पेशेवर के माध्यम से, एक बाईपास नहीं ले सकते हैं और इस तरह के अधिकार के प्रवर्तन के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष नहीं जा सकते हैं। [पारस 39-40] [593-B-E-H; 594-A-B]

4. धारा 14 में प्रदत्त अधिस्थगन का सरकार के इनकार करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

पट्टे का विस्तार। स्थगन का उद्देश्य केवल यथास्थिति बनाए रखना है न कि एक नया अधिकार बनाना। इसलिए आई. बी. सी., 2016 की धारा 14 पर कुछ भी लागू नहीं होता है। यहां तक कि आई. बी. सी., 2016 की धारा 14 (1) (डी), जो अधिस्थगन की अवधि के दौरान, किसी मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी भी संपत्ति की वसूली को प्रतिबंधित करती है, जहां ऐसी संपत्ति कॉर्पोरेट देनदार द्वारा कब्जा कर ली गई है या उसके कब्जे में है, कॉर्पोरेट के बचाव में नहीं जाएगी। देनदार, क्योंकि उसमें जो वर्जित है, वह केवल बेदखल नहीं होने का अधिकार है, लेकिन ऐसी संपत्ति के पट्टे के नवीनीकरण का अधिकार नहीं है। वास्तव में धारा 14 (1) (डी) में पाए जाने वाले बेदखल नहीं किए जाने के अधिकार का खनन पट्टे द्वारा विशेष रूप से सरकारी भूमि पर दिए गए अधिकारों से कोई लेना-देना नहीं होगा। खनन पट्टा विलेख के तहत क्या दिया जाता है

04.01.2001 , कर्नाटक सरकार द्वारा निगमित ऋणदाता को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए लौह अयस्क और लाल ऑक्साइड के खनन, उत्खनन और पुनर्प्राप्ति का अधिकार था। पट्टा विलेख में कई भागों में विभाजित एक अनुसूची होती है। अनुसूची के भाग-1 में पट्टे के स्थान और क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग-II पट्टेदार की स्वतंत्रताओं और विशेषाधिकारों को इंगित करता है। द.

जिन प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन अनुदान का लाभ उठाया जा सकता है, वे अनुसूची के भाग-III में पाए जाते हैं। अनुदान के बावजूद सरकार के लिए आरक्षित स्वतंत्रताओं, शक्तियों और विशेषाधिकारों को भाग-IV में दर्शाया गया है। यह भाग-IV सरकार को पट्टे के निर्वाह के दौरान भी उसी भूमि पर अन्य खनिजों (लौह अयस्क और रेड ऑक्साइड के अलावा) पर काम करने का अधिकार देता है। इसलिए, निगमित देनदार को जो दिया गया था, वह विचाराधीन क्षेत्र का एक अनन्य अधिकार नहीं था, ताकि समाधान पेशेवर को धारा 14 (1) (डी) का आह्वान करने में सक्षम बनाया जा सके। धारा 14 (1) (डी) इस प्रकार की स्थितियों पर लागू नहीं हो सकती है। इसलिए, एन. सी. एल. टी. के पास कर्नाटक सरकार के खिलाफ पूरक पट्टा कार्य निष्पादित करने के निर्देश के लिए एक आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।

खनन पट्टा का विस्तार। चूँकि एन. सी. एल. टी. ने एक ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का विकल्प चुना है जो कानून में निहित नहीं है, इसलिए कर्नाटक उच्च न्यायालय मैसर्स एम्बेसी प्रॉपर्टी डिवेलपमेंट्स पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य

इस आधार पर कि एन. सी. एल. टी. गैर-न्यायिक था, रिट याचिका पर विचार करने में उचित था। [पारस 44,45] [595-ए-एच]

5. क्या एन. सी. एल. टी. आरोपों की जांच करने के लिए सक्षम है

धोखाधड़ी, विशेष रूप से सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के मामले में।

धारा 65 विशेष रूप से कार्यवाही की धोखाधड़ी या दुर्भावनापूर्ण शुरुआत से संबंधित है। दिवाला समाधान के दौरान कॉर्पोरेट ऋणदाता द्वारा किए गए धोखाधड़ी वाले लेन-देन की भी धारा 66 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा जांच की जा सकती है। धारा 69 निगमित देनदार के एक अधिकारी और निगमित देनदार को लेनदारों को धोखा देने की दृष्टि से लेनदेन करने के लिए दंड के लिए उत्तरदायी बनाती है। इसलिए, एन. सी. एल. टी. के पास (i) कार्यवाही की धोखाधड़ी से शुरुआत के साथ-साथ (ii) धोखाधड़ी वाले लेनदेन की जांच करने की शक्ति निहित है। धारा 65 (1) एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां सी. आई. आर. पी. दिवालिया होने या दिवालिया होने के समाधान के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए धोखाधड़ी से शुरू की जाती है। परिसमापन "। यह स्पष्ट है कि एन. सी. एल. टी. के पास धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। इसके परिणामस्वरूप, एन. सी. एल. ए. टी. का भी अधिकार क्षेत्र होगा। इसलिए, सी. आई. आर. पी. की धोखाधड़ी की शुरुआत धारा 61 में प्रदान की गई अपील के वैकल्पिक उपचार को दरकिनार करने का आधार नहीं हो सकती है। [पारस 49-51] [597-C-G-H; 598-B]

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। मोहम्मद नूह। [1958] एस. सी. आर. 595; आधिकारिक न्यासी, पश्चिम बंगाल और अन्य बनाम सचिंद्र नाथ चटर्जी और एक अन्य [1969] 3 एस. सी. आर. 92; हिरदे नाथ रॉय बनाम। रामचंद्र बर्णा सरमा।

आईएलआर एलएक्सवीIII कलकत्ता 138; भारतीय किसान उर्वरक

सहकारी लिमिटेड v. भद्रा उत्पाद (2018) 2 एस. सी. सी. 534 [2018] 1 एस. सी. आर. 848; मफतलाल इंडस्ट्रीज और अन्य

वी. भारत संघ (1997) 5 एससीसी 536: [1996] 10 पूरक। एससीआर 585; एम. एल. सेठी बनाम आर. पी. कपूर (1972) 2 एससीसी

427 [1973] 1 एस. सी. आर. 697; हरि प्रसाद मुलशंकर त्रिवेदी बनाम। वी. बी. राजू (1974) 3 एससीसी 415: [1974] 1 एस. सी. आर. 548; यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन (2010) 8 एससीसी 110: [2010] 9 एस. सी. आर. 1; साधना लोध बनाम। राष्ट्रीय बीमा कंपनी (2003) 3 एस. सी. सी. 524: [2003] 1

एस. सी. आर. 567; निवेदिता शर्मा बनाम। सेलुलर प्रचालक

भारतीय संघ (2011) 14 एस. सी. सी. 337; सिसिली

कल्लारक्कल बनाम। वाहन कारखाना (2012) 8 एस. सी. सी. 524:

[2012] 8 एस. सी. आर. 95 संदर्भित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एनिस्मिनिक लिमिटेड बनाम। विदेशी क्षतिपूर्ति आयोग

(1969) 2 डब्ल्यूएलआर 163; बर्नार्ड और अन्य बनाम। राष्ट्रीय

डॉक लेबर बोर्ड और अन्य (1953) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 995; रेग. वी. ब्रिक्स्टन जेल के गवर्नर, पूर्व पक्ष आर्माह

(1968) एसी 192; री रेसल कम्युनिकेशंस लिमिटेड (1981)

एसी 374; ओ 'रेली बनाम। मैकमैन (1983) 2 एसी 237; आर। वी. लॉर्ड प्रेसिडेंट [1993] ए. सी. 682; रेजिना (गोपनीयता)

अंतर्राष्ट्रीय) वी। अन्वेषक शक्ति न्यायाधिकरण, [2019]

(1956) एसी 736; आर वी। के लिए राज्य सचिव पर्यावरण, एक्स पी। ओस्टलर (1977) क्यूबी 122;

वॉल्वरहैम्प्टन न्यू वाटरवर्क्स कं. बनाम हॉक्सफोर्ड [1859] 6 सी. बी. (एन. एस.) 336-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1958] एससीआर 595

संदर्भित किया गया है

पै
रा 9

[2017] 8 एससीआर 33

उस पर भरोसा करें

पै
रा 11

[1993] 2 एससीआर 581

उस पर भरोसा करें

पै
रा 14

[1969] 3 एससीआर 92

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[2018] 1 एससीआर 848

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[1996] 10 पूरक। एससीआर 585

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[1973] 1 एससीआर 697

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[1974] 1 एससीआर 548

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[2010] 9 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[2003] 1 एससीआर 567

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

संदर्भित किया गया है

(2011) 14 एस. सी. सी. 337

पै

रा 23

[2012] 8 एससीआर 95

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[2013] 7 एससीआर 863

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

(1991) 4 एससीसी 699

उस पर भरोसा करें

पै

रा 28

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 9

2019 से।

एच के 12.09.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के डब्ल्यू. पी. संख्या 41029 में बेंगलुरु में कर्नाटक का न्यायालय।

मेसर्स एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य

के साथ

सिविल अपील सं। 9171 , 9172 2019 से।

ई. ओम प्रकाश, कपिल सिब्बल, अरविंद पी. दातार, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आर. मुरली, चारुदत्त विजयराव महिंद्रा, सुश्री पिंकी बेहरा,

सुश्री मधुष्मिता बोरा, पवन किशोर सिंह, दीपांकर सिंह, रिजू राज

सिंह जामवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., गुरुकृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ओंकार कांबी, अंकुर मित्तल, मनेन्द्र पाल गुप्ता, प्रकाश जाधव, वी. एन.

रघुपति, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

1. छुट्टी मंजूर की गई।

2. दो महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात्:

i) क्या उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत, द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना चाहिए।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत एक कार्यवाही में अपील के वैधानिक उपचार की उपलब्धता की अनदेखी की राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण को और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में; और

(ii) क्या दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा धोखाधड़ी के सवाल उठाए जा सकते हैं।

इन अपीलों पर विचार करें।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि तथ्य

3. हाथ में तीन अपीलें हैं, एक समाधान आवेदक द्वारा दायर की गई है, दूसरी कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दायर की गई है

समाधान पेशेवर और ऋणदाताओं की समिति द्वारा दायर तीसरा, जो सभी कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश को एक रिट याचिका में चुनौती देते हैं, जिसमें समाधान पेशेवर द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर एन. सी. एल. टी. के आदेश में निहित निर्देश के संचालन पर रोक लगा दी गई है।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

उपरोक्त अपीलों को दायर करने के लिए आधारहीन तथ्य, निम्नलिखित हैः

मेसर्स नाम की एक कंपनी। उद्यम इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि. लिमिटेड, जो वित्तीय लेनदार होने का दावा करने वाली इन तीन अपीलों में से पहली में बारहवीं प्रतिवादी है, ने धारा के तहत एन. सी. एल. टी. चेन्नई के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

7 दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

अगली अपील)। दिनांक 12.03.2018 के एक आदेश द्वारा, NCLT चेन्नई ने आवेदन को स्वीकार किया, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया और एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया। नतीजतन, ए

धारा 14 के संदर्भ में अधिस्थगन भी घोषित किया गया था।

आई. बी. सी., 2016।

उस समय, कॉर्पोरेट देनदार के पास कर्नाटक सरकार द्वारा दिया गया एक खनन पट्टा था, जो 25.05.2018 तक समाप्त होने वाला था। यद्यपि वैधानिक नियमों और पट्टा विलेख के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के आरोप पर पट्टा की समयपूर्व समाप्ति के लिए एक नोटिस पहले ही 09.08.2017 पर जारी किया जा चुका था, लेकिन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (जिसे इसके बाद सी. आई. आर. पी. के रूप में संदर्भित किया गया है) की शुरुआत की तारीख तक समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। इसलिए, एन. सी. एल. टी. द्वारा नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर ने निगरानी समिति के अध्यक्ष के साथ-साथ खान और भूविज्ञान निदेशक को सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के बारे में सूचित करते हुए एक पत्र लिखा। उन्होंने खान और भूविज्ञान निदेशक को दिनांक 21.04.2018 पर एक पत्र भी लिखा, जिसमें पट्टे के मानित विस्तार का लाभ मांगा गया।

25.05.2018 खान और खनिज (विकास और विनियमन) की धारा 8-ए (6) के संदर्भ में 31.3.2020 तक अधिनियम, 1957 (इसके बाद एम. एम. डी. आर. अधिनियम के रूप में संदर्भित)

1957) .

एस. एस. वाई. संपत्ति विकास पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एफ. कर्नाटका [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

यह पाते हुए कि कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, अंतरिम

कर्नाटक सरकार द्वारा पारित अस्वीकृति के आदेश को देखते हुए, अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कॉर्पोरेट देनदार ने एक नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ 2018 की रिट याचिका 28.09.2018 को वापस ले लिया। हालांकि, एक नई रिट याचिका दायर करने के बजाय (मांगी गई स्वतंत्रता के अनुसार), समाधान पेशेवर ने एन. सी. एल. टी., चेन्नई के समक्ष 2018 का एक विविध आवेदन No.632 दायर किया, जिसमें कर्नाटक सरकार के आदेश को दरकिनार करने और यह घोषणा करने की मांग की गई कि पट्टे को 31.03.2020 तक वैध माना जाना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक सरकार को अब तक की अवधि के लिए पूरक पट्टा विलेखों को निष्पादित करने का निर्देश भी दिया जाना चाहिए।

31.03.2020 .

दिनांक 11.12.2018 के एक आदेश द्वारा, NCLT, चेन्नई ने कर्नाटक सरकार के आदेश को इस आधार पर दरकिनार करते हुए विविध आवेदन की अनुमति दी कि यह IBC, 2016 की धारा 14 (1) के संदर्भ में 12.03.2018 पर घोषित अधिस्थगन का उल्लंघन था। नतीजतन न्यायाधिकरण ने कर्नाटक सरकार को 31.03.2020 तक की अवधि के लिए कॉर्पोरेट ऋणदाता के पक्ष में पूरक पट्टा विलेखों को निष्पादित करने का निर्देश दिया।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

एन. सी. एल. टी., चेन्नई के आदेश से व्यथित कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष 2019 के डब्ल्यू. पी. No.5002 में एक रिट याचिका दायर की। जब रिट याचिका सुनवाई के लिए आई, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष समाधान पेशेवर द्वारा यह स्वीकार किया गया कि एन. सी. एल. टी. के आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और मामले को योग्यता पर निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है। राज्य विविध आवेदन में मांगी गई राहतों का जवाब देगा। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि एन. सी. एल. टी. का दिनांक 11.12.2018 का आदेश इस आधार पर एकतरफा पारित किया गया था कि राज्य ने नोटिस दिए जाने के बावजूद उपस्थित होने का विकल्प नहीं चुना था।

मामले को नए सिरे से एन. सी. एल. टी. को वापस भेज दिया गया। विविध अनुप्रयोग No.632 पर विचार

2018 से।

इसके बाद, कर्नाटक राज्य ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष आपत्तियों का एक वक्तव्य दायर किया, जिसमें मुख्य रूप से दो मुद्दे उठाए गए।

आपत्तियाँ, एक राज्य-पट्टेदार और पट्टेदार के बीच एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 के तहत खनन पट्टों के अनुदान से उत्पन्न विवादों पर निर्णय लेने के लिए एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है और दूसरा धोखाधड़ी और मिलीजुली तरीके से संबंधित है जिसमें पूरे

समाधान प्रक्रिया स्वयं निगमित ऋणदाता के संबंधित पक्षों द्वारा शुरू की गई थी, केवल खनन पट्टे के लाभों को घेरने के उद्देश्य से।

राज्य की आपत्तियों को खारिज करते हुए, एन. सी. एल. टी. चेन्नई ने विविध आवेदन की अनुमति देते हुए एक आदेश पारित किया, जिसमें अस्वीकृति के आदेश को दरकिनार कर दिया गया और कर्नाटक सरकार को पूरक पट्टा विलेखों को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

एन. सी. एल. टी., चेन्नई के आदेश को चुनौती देते हुए

कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष 2019 के डब्ल्यू. पी. No.41029 में एक रिट याचिका दायर की। जब रिट याचिका आदेश के लिए आई कि

स्वीकार करते हुए, मैसर्स एम्बेसी प्रॉपर्टी डिवेलपमेंट्स पी. वी. टी. द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कॉर्पोरेट ऋणदाता।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

समाधान पेशेवर वकील के माध्यम से उपस्थित हुए और

नोटिस लिया और निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा।

इसलिए, उच्च न्यायालय ने दिनांकित एक आदेश द्वारा

12.09.2019 मामले को 23.09.2019 तक स्थगित कर दिया और

निहित निर्देश के संचालन पर रोक लगा दी गई न्यायाधिकरण के विवादित आदेश में। अंतरिम ठहराव था

अवमानना आवेदन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक

एन. सी. एल. टी. के समक्ष समाधान पेशेवर द्वारा

निष्पादन में उनकी विफलता के लिए कर्नाटक सरकार

अनुपूरक पट्टा विलेख।

xv) यह द्वारा दिए गए उक्त अंतरिम आदेश के खिलाफ है

पेशेवर और लेनदारों की समिति आ गई है वर्तमान अपीलों के साथ।

प्रतिद्वंद्वी विवाद

5. एस. के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील

समाधान आवेदक की ओर से विवादित आदेश पर इस आधार पर हमला किया गया कि जब आई. बी. सी., 2016 की धारा 61 के तहत एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय को एक रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और वह भी एक आदेश के खिलाफ।

पास हो गया।

एन. सी. एल. टी. की चेन्नई पीठ द्वारा। उन्होंने कई निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह कहा गया था कि जब शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक मंच बनाया जाता है, तो एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। आई. बी. सी., 2016 का सार एक निगमित ऋणदाता का पुनरुद्धार और इसकी समस्याओं का समाधान है ताकि यह एक चालू ऋण के रूप में जीवित रह सके।

संबंधित, अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के माध्यम से, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि अंतरिम समाधान पेशेवर / समाधान पेशेवर को उचित के लिए एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित करने का अधिकार था।

निगमित देनदार की संपत्तियों के संरक्षण के लिए राहत और इसलिए समाधान पेशेवर द्वारा उठाए गए कदमों को शून्य करने का एकमात्र तरीका प्रावधानों का सहारा लेना है।

अकेले आई. बी. सी. इस न्यायालय द्वारा कुछ निर्णयों में की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए कि आई. बी. सी., 2016 संहिता का एक एकीकृत छत्र है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि उपचार प्रदान किए गए हैं।

इसके तहत सभी व्यापक और अनन्य हैं।

6. एस. अदालत की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी

समाधान आवेदक ने उपरोक्त तर्कों को पूरक बनाया और तर्क दिया कि हालांकि वह यह कहने की हद तक नहीं जाएगा कि [2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय की अधिकारिता पूरी तरह से समाप्त हो गई, उच्च न्यायालय इस प्रकृति के मामलों में हैंड्स ऑफ मोड पर जाने के लिए बाध्य था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया कि एन. सी. एल. टी. ने पहले ही एक आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दे दी है और इसलिए उच्च न्यायालय ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है जो एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के साथ छेड़छाड़ या उसे नष्ट कर दे।

7. एस. समाधान पेशेवर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि आईबीसी, 2016 का पूरा उद्देश्य

यदि एन. सी. एल. टी. के आदेशों को अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के लिए उत्तरदायी घोषित किया जाता है, तो वे पराजित हो जाएंगे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आई. बी. सी., 2016 के प्रावधानों को अन्य सभी कानूनों पर धारा 238 के तहत प्रबल प्रभाव दिया गया है। यह उनका आगे का तर्क है कि 2019 की डब्ल्यू. पी. No.5002 में उनकी पहली रिट याचिका में एक स्टैंड लेने के बाद कि

खनन पट्टा का मानित विस्तार देने से इनकार करने से संबंधित विवाद पूरी तरह से खनन न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है और

विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, जिसे कर्नाटक सरकार ने समाधान पेशेवर के विविध अनुप्रयोग का विरोध किया, वह कॉर्पोरेट देनदार और सी. आई. आर. पी. की शुरुआत करने वाले लेनदार की ओर से धोखाधड़ी और मिलीभगत थी। इसलिए, उनके द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि आई. बी. सी., 2016 की धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र के व्यापक विस्तार को देखते हुए, न्यायाधिकरण धोखाधड़ी के आरोपों की भी जांच करने का हकदार था। एक बार यह मान लिया जाए कि एन. सी. एल. टी. के पास आरोपों की जांच करने का भी अधिकार क्षेत्र होगा। धोखाधड़ी के मामले में, फिर विद्वान वकील के अनुसार, एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता है।

इस न्यायालय द्वारा मैसर्स एम्बेसी प्रॉपर्टी डिवेलपमेंट्स पी. वी. टी. की कोई भी मान्यता। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, आई. बी. सी., 2016 के तहत एन. सी. एल. टी. के आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, समाधान प्रक्रिया को पूरी तरह से पटरी से उतार देगा जो एक समय सीमा के भीतर होने के लिए बाध्य है। इसलिए, उन्होंने अपील की कि उच्च न्यायालय के आदेश को अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर रद्द कर दिया जाना चाहिए।

8. एस. अरविंद पी. दातार और एस. ऋणदाताओं की समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ई. ओम प्रकाश ने कहा कि आईबीसी,

2016 अपने आप में एक पूर्ण कोड होने के कारण एन. सी. एल. टी. के आदेशों को चुनौती देने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, अन्यथा कोड द्वारा निर्धारित तरीके से। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, समाधान पेशेवर द्वारा जो माँगा गया था, वह केवल एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 8 ए द्वारा प्रदत्त पट्टे के मानित विस्तार के वैधानिक अधिकार की मान्यता थी और इसलिए एन. सी. एल. टी. को कानून में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए नहीं लिया जा सकता है, ताकि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।

9. जवाब में, एस। के. के. वेणुगोपाल, विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि यदि कोई मामला अंतर्निहित कमी की श्रेणी में आता है

न्यायाधिकरण की ओर से अधिकारिता का प्रयोग निश्चित रूप से अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता के लिए उत्तरदायी होगा। चूंकि एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा को परिभाषित किया गया है।

धारा 60 की उप-धारा (5) के खंड (ए), (बी) और (सी) में और यह भी कि एन. सी. एल. टी. की शक्तियों को धारा 60 की उप-धारा (4) में परिभाषित किया गया है, जो ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समान है। बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 (इसके बाद डी. आर. टी. अधिनियम, 1993 के रूप में संदर्भित) के कारण ऋणों की वसूली, विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र केवल अंतर-पक्षीय संविदात्मक मामलों तक ही सीमित है। कुछ विशेष अधिनियमों के तहत एक सांविधिक/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश जैसे -

एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 सार्वजनिक कानून के दायरे में आता है और इसलिए विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह तर्क दिया गया कि एन. सी. एल. टी. के पास ऐसे आदेशों की न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं होगी। विद्वान महान्यायवादी ने 27.02.2019 पर आयोजित लेनदारों की समिति की 10 वीं बैठक के कार्यवृत्त की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें एक कंपनी

वर्तमान समाधान के अलावा आवेदक ने एक बेहतर प्रस्ताव दिया था। लेकिन वर्तमान संकल्प आवेदक सक्षम था

प्रस्ताव कम होने के बावजूद उनकी योजना को मंजूरी दी गई, केवल इसलिए कि वे खनन पट्टे के नवीनीकरण नहीं होने का जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। इसलिए, यह उनका तर्क था कि एक व्यक्ति जो एक मौका लेने के लिए तैयार था, [2019] 17 एस. सी. आर.

अब समाधान योजना की मंजूरी के तहत शरण नहीं ले सकते हैं। इस तर्क पर कि कर्नाटक सरकार के पास एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय था, विद्वान महान्यायवादी ने बर्नार्ड और अन्य बनाम राष्ट्रीय डॉक श्रम बोर्ड और अन्य में निर्णय के आधार पर प्रस्तुत किया कि जब एक निम्न न्यायाधिकरण एक आदेश पारित करता है जो एक अमान्यता है, तो उच्च न्यायालय को पक्ष को अधिनियम द्वारा निर्धारित अपीलीय मंच पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान महान्यायवादी ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया। 2.

प्रश्न संख्या 1

10. वर्णित तथ्यों की पृष्ठभूमि में और ऊपर निकाले गए प्रतिद्वंद्वी विवादों के आलोक में, पहला सवाल जो उत्पन्न होता है

विचार इस बात पर है कि क्या उच्च न्यायालय को एन. सी. एल. ए. टी. को अपील करने के लिए एक वैधानिक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद, आई. बी. सी., 2016 के तहत एक कार्यवाही में एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश के साथ संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत हस्तक्षेप करना चाहिए। 11. यह किसी भी संदेह से परे है कि आई. बी. सी., 2016 अपने आप में एक पूर्ण कोड है। जैसा कि इस न्यायालय ने मैसर्स इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज में कहा है

सीमित बनाम आई. सी. आई. सी. आई. बैंक, 3 यह निगमित संस्थाओं और अन्य के संबंध में दिवालिया होने के विषय पर एक विस्तृत संहिता है। यह भी सच है कि आई. बी. सी., 2016 एक एकल एकीकृत छतरी संहिता है, जो समयबद्ध तरीके से निगमित व्यक्तियों और अन्य लोगों के दिवाला समाधान से संबंधित कानून के पूरे दायरे को शामिल करती है। संहिता एक तीन स्तरीय तंत्र प्रदान करती है, अर्थात् (i) एन. सी. एल. टी., जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण है, (ii) एन. सी. एल. ए. टी. जो अपीलीय प्राधिकरण है और (iii) यह न्यायालय अंतिम प्राधिकरण के रूप में, उन सभी मुद्दों से निपटने के लिए जो कॉर्पोरेट व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवालिया समाधान के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं। जहाँ तक निगमित ऋणदाताओं और व्यक्तिगत गारंटरों के दिवाला समाधान का संबंध है, एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित कोई भी आदेश आई. बी. सी., 2016 की धारा 61 के तहत एन. सी. एल. ए. टी. को अपील करने योग्य है और एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश धारा 62 के तहत इस अदालत के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हैं। यह इस संदर्भ में है कि कर्नाटक राज्य की कार्रवाई-एन. सी. एल. ए. टी. को अपील का उपाय पारित करना और उच्च न्यायालय का अधिनियम

एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ रिट याचिका पर विचार करने के लिए अदालत से पूछताछ की जा रही है।

1 (1953) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 995

2 (1958) एससीआर 595

3 3 एयर 2017 एससी 4084 एम/एस एम्बेसी संपत्ति विकास पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

12. हाथ में प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, अधिकार क्षेत्र का दायरा और उन शक्तियों की प्रकृति-(i) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और (ii) एन. सी. एल. टी. और

आई. बी. सी., 2016 के प्रावधानों के तहत एन. सी. एल. ए. टी. देखा जाना चाहिए।

अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियाँ

226

13. अनुच्छेद 226 (1) द्वारा जिसे मान्यता दी गई है, वह प्रत्येक उच्च न्यायालय की (i) निर्देश, (ii) आदेश या (iii) रिट जारी करने की शक्ति है। इन्हें (i) किसी भी व्यक्ति या (ii) सरकार सहित प्राधिकरण को जारी किया जा सकता है। उन्हें (i) प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए जारी किया जा सकता है।

भाग III और (ii) द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए। लेकिन अनुच्छेद 226 के खंड (1) द्वारा मान्यता प्राप्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित है, जो इसके भौगोलिक आधार पर निर्धारित होता है। स्थान या उस स्थान से जहाँ कार्रवाई का कारण, पूरे या आंशिक रूप से,

उठ खड़ा हुआ। जबकि उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई शक्ति की प्रकृति अनुच्छेद 226 के खंड (1) में वर्णित है, ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता, अनुच्छेद 226 के खंड (1) और (2) दोनों में वर्णित है।

14. परंपरागत रूप से, अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र को यह सुनिश्चित करने तक सीमित माना जाता था कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण या

प्रशासनिक निकाय अपनी शक्तियों का प्रयोग उनसे अधिक नहीं करते हैं।

वैधानिक सीमाएँ। लेकिन अनुच्छेद 226 (1) में "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, अदालतों ने माना कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निजी व्यक्तियों पर भी विस्तारित है, बशर्ते कि ऐसे निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए कर्तव्यों की प्रकृति सार्वजनिक हो। इसलिए, अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किए गए उपचार सार्वजनिक कानून उपचार हैं, जो निजी कानून में उपलब्ध उपचारों के विपरीत हैं। जैसा कि इस न्यायालय ने नीलाबती बेहरा @बबीता बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य मामले में कहा है, सार्वजनिक कानून की कार्यवाही निजी कानून की कार्यवाही से अलग उद्देश्य की पूर्ति करती है।

15. स्व-अधिरोपित के लिए अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवादों में से एक

उच्च न्यायालयों का प्रतिबंध, उन मामलों में जहां अपील का एक वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, वैधानिक/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण की ओर से अधिकार क्षेत्र की कमी है, जिसके आदेश के खिलाफ न्यायिक समीक्षा की मांग की जाती है। परंपरागत रूप से, अंग्रेजी अदालतों ने उन मामलों के बीच अंतर बनाए रखा जहां एक सांविधिक/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण एक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है जो कानून में निहित नहीं है और ऐसे मामले जहां एक गलत कार्य था। 4 (1993) 2 एससीसी 746 [2019] 17 एस. सी. आर.

उपलब्ध अधिकारिता का प्रयोग। एक "अधिकार क्षेत्र की त्रुटि" थी

हमेशा "अधिकार क्षेत्र से अधिक" से अलग, आगमन तक

हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा दिए गए निर्णय का, 3 के बहुमत सेः 2 एनिस्मिनिक लिमिटेड बनाम। विदेशी क्षतिपूर्ति आयोग। इसके बाद

यह स्वीकार करते हुए कि टिप्पणियों से भ्रम पैदा हुआ था

रेग में बनाया गया। बनाम। ब्रिक्स्टन जेल के गवर्नर, पूर्व पक्ष आर्माहो को

इस प्रभाव से कि यदि किसी न्यायाधिकरण को सही होने का अधिकार क्षेत्र है, तो उसे गलत होने का अधिकार क्षेत्र है, अनिस्मिनिक में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वास्तविक प्रश्न यह नहीं था कि किसी प्राधिकरण ने गलत निर्णय लिया है या नहीं, बल्कि यह था कि क्या उन्होंने गलत निर्णय लिया है।

उन्होंने पूछताछ की और एक ऐसे मामले का फैसला किया जिस पर विचार करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। 16. एनिस्मिनिक, जिसे एक ब्रेक-थ्रू और एक कानूनी मील का पत्थर के रूप में जाना जाता है (इन रेकल कम्युनिकेशंस लिमिटेड 1 देखें) ने पुराने भेद को समाप्त कर दिया।

कानून की त्रुटियों के बीच जो अधिकार क्षेत्र में गईं और कानून की त्रुटियों के बीच जो नहीं हुईं। एनिस्मिनिक की प्रशंसा ओ 'रेली बनाम मैकमैन में की गई थी

अदालतों द्वारा लगाए गए बंधनों से अंग्रेजी सार्वजनिक कानून को मुक्त किया

अतः जहां तक निम्न न्यायालयों और सांविधिक न्यायाधिकरणों के निर्धारणों का संबंध है, गूढ़ निष्कर्ष निकालकर स्वयं पर थोपा जाता है।

ऐसे न्यायाधिकरणों द्वारा की गई विधि की त्रुटियों के बीच अंतर जो

उनके अधिकार क्षेत्र में गया, और उनके द्वारा किए गए कानून की त्रुटियाँ

उनके अधिकार क्षेत्र।

17. लेकिन रे रेसल में एक ओर कानून की अदालतों और दूसरी ओर प्रशासनिक न्यायाधिकरण/प्रशासनिक प्राधिकरण के बीच अंतर किया गया।

अन्य और यह अभिनिर्धारित किया कि जहां तक (निम्नतर) विधि न्यायालयों का संबंध है, विधि की त्रुटियों के बीच सूक्ष्म अंतर जो अधिकार क्षेत्र में गई और विधि की त्रुटियों के बीच जो नहीं गई, तब भी बनी रहेगी, यदि ऐसे न्यायालयों के निर्णयों को क़ानून द्वारा अंतिम और निर्णायक घोषित किया जाता है। इस प्रकार एक

5 (1969) 2 डब्ल्यूएलआर 163 6 (1968) ए. सी. 192

8 (1983) 2 ए. सी. 237 9 एनिस्मिनिक की अपनी समस्याएं थीं। प्रो. वेड, जैसा कि आर. वी. में बताया गया है। प्रिवी काउंसिल के लॉर्ड प्रेसीडेंट एक्स पी। ऐसा लगता है कि पेज, [1993] ए. सी. 682

ने राय दी है कि एनिस्मिनिक का वास्तविक प्रभाव अभी भी संदेह में था। सर जॉन जैसे लोग प्रो. द्वारा उद्धृत कानून। पॉल क्रेग, और जिसे रेजिना (प्राइवेसी इंटरनेशनल) v में निर्णय में निकाला गया था। अन्वेषक शक्ति न्यायाधिकरण, [2019] यू. के. एस. सी. 22, ने राय दी है कि एक बार क्षेत्राधिकार और गैर के बीच अंतर

क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों को खारिज कर दिया गया था, अब अति अधिकार सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं थी और यह कि अति अधिकार वास्तव में एक अंजीर पत्र है जिसने अदालतों को मैसर्स एम्बेसी प्रॉपर्टी डिवेलपमेंट्स पी. वी. टी. को सक्षम बनाया है।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

18. दिलचस्प बात यह है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स से सिर्फ चार दिन पहले

(17.12.1968 पर) अनिस्मिनिक में निर्णय देते हुए, इस अदालत की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा एक समान विचार लिया गया था (पर दिया गया था)

13.12.1968) आधिकारिक न्यासी, पश्चिम बंगाल और अन्य बनाम सचिंद्र नाथ चटर्जी और एक अन्य "में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा हिरदे नाथ रॉय बनाम कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए विचार को मंजूरी देते हुए। रामचंद्र बर्णा सरमा "। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "इससे पहले कि किसी न्यायालय को किसी विशेष मामले का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र दिया जा सके, उसे न केवल लाए गए मुकदमे का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, बल्कि उसे मांगे गए आदेशों को पारित करने का अधिकार भी होना चाहिए।" इस न्यायालय ने यह भी बताया कि यह पर्याप्त नहीं है कि मुकदमे की विषय वस्तु के संबंध में उसका कुछ अधिकार क्षेत्र है, लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र में (1) मुद्दे पर प्रश्नों को सुनने और निर्णय लेने की शक्ति और (2) मांगी गई राहत देने की शक्ति शामिल होनी चाहिए। आधिकारिक न्यासी के इस निर्णय का पालन हाल ही में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाम इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड के मामले में किया गया था। भद्रा उत्पाद, 1 2 एनिस्मिनिक और उसके अनुयायियों से काफी स्वतंत्र है।

19. यद्यपि आधिकारिक न्यासी में निर्णय एनिस्मिनिक से पहले लिया गया था और गर्व से दावा किया जा सकता है कि यह एक अंग्रेजी कानूनी प्रक्रिया के भारतीय अग्रदूत के रूप में है।

ऐतिहासिक, इस अदालत के कई बाद के फैसलों ने माना कि केवल एनिस्मिनिक ने ही सफलता प्रदान की है। मफतलाल इंडस्ट्रीज एंड अदर्स बनाम भारत संघ में, 1 3 परिपूर्नन, जे. ने भारतीय मामलों की सूची प्रदान की जिसमें अनुमोदन के साथ एनिस्मिनिक का हवाला दिया गया था। वे इस प्रकार हैं:

(1) भारत संघ बनाम ताराचंद गुप्ता और ब्रदर्स। , (1971) 1

एससीसी 486

न्यायिक शक्ति के दावे के बिना निर्णयों में हस्तक्षेप करना जो कार्यपालिका या अन्य सार्वजनिक निकायों के स्थापित प्राधिकरण का नग्न रूप से सामना करता है। सर जॉन लॉज के अनुसार, एनिस्मिनिक ने ऐतिहासिक विडंबना पैदा की है कि शून्य पर अपने सभी जोर के साथ, इसने कानूनी मील का पत्थर खड़ा किया जो एक सार्वजनिक कानून न्यायशास्त्र की ओर इशारा करता है जिसमें शून्यता की अवधारणा और अति अधिकार सिद्धांत निरर्थक हो गए हैं। रेजिना (प्राइवेसी इंटरनेशनल) में यू. के. सुप्रीम कोर्ट ने डी स्मिथ की न्यायिक समीक्षा के संपादकों को भी उद्धृत कियाः क्षेत्राधिकार संबंधी और गैर-क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों के बीच का अंतर अंततः रेत की नींव पर आधारित है। अधिकांश अधिसंरचना पहले ही ध्वस्त हो चुकी है। जो बचा है वह जल्द ही समाप्त होने की संभावना है क्योंकि अदालतें उचित रूप से इस बात पर जोर देती हैं कि सभी प्रशासनिक कार्रवाई सरल, वैध होनी चाहिए, चाहे वह अधिकार क्षेत्र में वैध हो या नहीं।

10 (1969) 3 एससीआर 92

आईएलआर एलएक्सवीIII कलकत्ता 138

1 2 12 (2018) 2 एससीसी 534

13 (1997) 5 एससीसी 536 [2019] 17 एस. सी. आर.

(2) ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और एक अन्य, (1988) 2

एस. सी. सी. 602

(4) एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कंपनी बनाम सरकार. आंध्र प्रदेश और एक अन्य, (1991) 4 एस. सी. सी. 93 और
(5) शिव कुमार चड्ढा बनाम दिल्ली नगर निगम

& अन्य, (1993) 3 एससीसी 161

20. लेकिन एम. एल. सेठी बनाम। आर. पी. कपूर, 1 4 के. के. मैथ्यू, जे. ने एनिस्मिनिक के बारे में कुछ दिलचस्प टिप्पणियां कीं। विद्वान न्यायाधीश यह देखा गया कि एनिस्मिनिक में डिक्टा का प्रभाव कम करना है

अधिकार क्षेत्र के भीतर अधिकार क्षेत्र की त्रुटि और कानून की त्रुटि के बीच का अंतर लगभग एक लुप्त होने वाले बिंदु तक आ गया और यह यह कहने के लिए खतरनाक रूप से करीब आ गया कि यदि निर्णय कानून में सही है तो अधिकार क्षेत्र है, लेकिन यदि यह गलत है तो कोई नहीं। अनिस्मिनिक, उनके अनुसार वस्तुतः एक अदालत या न्यायाधिकरण के साथ छोड़ दिया

कानूनी त्रुटि की कोई सीमा नहीं।

21. संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए फिर से हरि प्रसाद मुलशंकर त्रिवेदी बनाम वी. बी. राजू, 1515 के. के. मैथ्यू, जे. ने बताया कि हालांकि अधिकार क्षेत्र या शक्ति की कमी और इसके गलत प्रयोग के बीच विभाजन रेखा अनिस्मिनिक के साथ पतली हो गई है, लेकिन अंतर को पूरी तरह से मिटा नहीं दिया गया है।

22. लेकिन यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि आधिकारिक न्यासी/अनिस्मिनिक और दोनों के बाद जो हुआ, वह ज्यादातर सत्ता के संदर्भ में था।

अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों या प्रशासनिक प्राधिकरणों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय। इनमें से अधिकांश निर्णय वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के बावजूद अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के संदर्भ में नहीं थे। यह कि (i) ऐसे मामलों के बीच ऐसा अंतर मौजूद है जहां निष्कासन खंडों के आधार पर एक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया जाता है और (ii) ऐसे मामले जहां एक उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर सवाल उठाया जाता है, को एनिस्मिनिक में भी मान्यता दी गई थी, जब लॉर्ड रीड ने स्मिथ बनाम पूर्वी एलो ग्रामीण जिला परिषद 1 6 में निर्णय का उल्लेख किया था, जिसमें कुछ कठिनाई उत्पन्न करने के रूप में कहा गया था। नतीजतन, अपील न्यायालय ने आर बनाम आर में अभिनिर्धारित किया।

14 (1972) 2 एस. सी. सी. 427

15 (1974) 3 एससीसी 415

16 (1956) एसी 736 एम/एस एम्बेसी संपत्ति विकास पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

पर्यावरण राज्य सचिव, एक्स पी। ओस्टलर ने कहा कि एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर चुनौती देने के वैधानिक अधिकार की उपलब्धता, अन्य बिंदुओं के साथ, अंतर करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

एनिज़्मिनिक। रेजिना (प्राइवेसी इंटरनेशनल) में यूके सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर ध्यान दिया गया था। इसलिए यह सवाल कि क्या किसी प्रशासनिक प्राधिकरण/न्यायाधिकरण या अदालत द्वारा की गई त्रुटि अधिकार क्षेत्र में गई या क्या यह अधिकार क्षेत्र के भीतर थी, अभी भी हो सकता है

यह परीक्षण करने के लिए प्रासंगिक है कि क्या एक वैधानिक वैकल्पिक उपाय को दरकिनार किया जाना चाहिए या नहीं।

23. कई मामलों में, इंग्लैंड और भारत दोनों में, विल्स, जे. द्वारा वॉल्वरहैम्प्टन न्यू वाटरवर्क्स कंपनी बनाम इंग्लैंड में कहा गया प्राचीन नियम।

हॉक्सफोर्ड 1 8 इस प्रभाव के लिए कि जहां एक देयता जो सामान्य कानून में मौजूद नहीं है, एक क़ानून द्वारा बनाई गई है, जो इसे लागू करने के लिए एक विशेष और विशेष उपाय भी देती है, क़ानून द्वारा प्रदान किए गए उपाय का पालन किया जाना चाहिए, अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। उदाहरण के लिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन ने कहा कि डी. आर. टी. अधिनियम, 1993 और एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम, 2002 के तहत अपील के उपचार की उपलब्धता उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोकनी चाहिए। इसी तरह, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत अपील के उपचार की उपलब्धता

दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को साधना लोध बनाम राष्ट्रीय बीमा Co.20 में उच्च न्यायालय के लिए अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने के लिए पर्याप्त माना गया था। यही सिद्धांत (1) निवेदिता शर्मा बनाम सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (2) सिसिली कल्लारक्कल बनाम (2) में भी लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित विशेष मंच द्वारा पारित पुरस्कारों के संबंध में वाहन कारखाना 2।

24. इसलिए जहां तक अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग का सवाल है, एक वैधानिक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के बावजूद, अनिस्मिनिक पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अधिकारिता की कमी और इसके गलत प्रयोग के बीच का अंतर

17 (1977) क्यूबी 122 18 1 8 [1859] 6 सीबी (एनएस) 336 19 (2010) 8 एससीसी 110

20 (2003) 3 एस. सी. सी. 524

21 (2011) 14 एस. सी. सी. 337 22 (2012) 8 एससीसी 524 [2019] 17 एस. सी. आर.

25. इस सिद्धांत के आधार पर, आइए अब देखते हैं कि क्या कर्नाटक राज्य का मामला (1) एन. सी. एल. टी. की ओर से एक निर्देश जारी करने के लिए अधिकार क्षेत्र की कमी की श्रेणी में आता है।

26. एमएमडीआर अधिनियम, 1957 एक संसदीय अधिनियम है जिसका पता संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 54 से लगाया जा सकता है। अधिनियम का उद्देश्य, जैसा कि यह मूल रूप से था, खानों का विनियमन और खनिजों का विकास था। 1999 के संशोधन अधिनियम 38 के बाद, अधिनियम का उद्देश्य खानों और खनिजों के विकास और विनियमन का प्रावधान करना है। अधिनियम की धारा 2 में घोषणा की गई है कि जनहित में यह समीचीन है कि संघ को खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। अधिनियम की धारा 4 (1) खनन कार्यों के उपक्रम को प्रतिबंधित करती है (और

और अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए गए खनन पट्टे के नियमों और शर्तों के अनुसार। 1999 के संशोधन अधिनियम 38 द्वारा धारा 4 में उप-धारा (1ए) को शामिल करने के बाद, अधिनियम और बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अलावा किसी भी खनिज का परिवहन या भंडारण। इसके तहत निषिद्ध है। यह अधिनियम खनन पट्टों के अनुदान पर भी प्रतिबंध लगाता है। 2015 के संशोधन अधिनियम 10 द्वारा अंतःस्थापित अधिनियम की धारा 8ए में मानित अनुदान और विभिन्न प्रकार के मानित विस्तार का प्रावधान है। मुख्य रूप से धारा 8ए केवल पहली अनुसूची के भाग ए और बी में निर्दिष्ट खनिजों के अलावा अन्य खनिजों पर लागू होती है। जहाँ तक लघु खनिजों का संबंध है, राज्य सरकार को खनन पट्टों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 19 किसी भी खनन पट्टे को दिए जाने की घोषणा करती है,

अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन में नवीनीकृत या अर्जित किया गया अमान्य और अप्रभावी होगा। यह अधिनियम केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत अधिकारियों को तलाशी, प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 30 केंद्र सरकार को, या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या पीड़ित पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर, अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को संशोधित करने का अधिकार देती है। प्रक्रिया. संशोधन दाखिल करने के लिए नियम 54 और मेसर्स एम्बेसी प्रॉपर्टी डिवेलपमेंट्स पी. वी. टी. में निपटान की विधि निर्धारित की गई है।

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 55 में इस तरह के संशोधनों का उल्लेख किया गया है।

27. हालांकि थ्रेसियाम्मा में जैकब बनाम विभाग। खनन और

भूविज्ञान, 23 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उप-भूमि में खनिज संपदा भूमि के स्वामित्व के साथ जाएगी, रॉयल्टी लेने के लिए सरकार के अधिकार का प्रश्न खुला छोड़ दिया गया था, क्योंकि यह संविधान पीठ के संदर्भ में लंबित था। लेकिन हाथ के मामले में, जो भूमि खनन पट्टे की विषय वस्तु थी, वह कर्नाटक राज्य की है। निगम को दी गई स्वतंत्रताएँ और विशेषाधिकार कर्नाटक सरकार द्वारा खनन पट्टे के तहत कर्जदार को खनन पट्टे के भाग IV में चित्रित किया गया है। खनन पट्टा खनिज रियायत नियम, 1960 नामक वैधानिक नियमों के अनुसार जारी किया गया था। इसलिए खनन पट्टे के तहत कॉर्पोरेट देनदार और कर्नाटक सरकार के बीच संबंध न केवल संविदात्मक है, बल्कि सांविधिक रूप से भी शासित है। जैसा कि हमने अन्यत्र संकेत दिया है, एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 एक संसदीय अधिनियम है जिसका पता सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 54 से लगाया जा सकता है। यह प्रविष्टि 54 विनियमन के बारे में बताती है

खानों का विकास और खनिजों का विकास जिस हद तक संघ के नियंत्रण में विनियमन और विकास घोषित किया जाता है

कानून द्वारा संसद द्वारा लोक हित में समीचीन होना। वास्तव में "जनहित" अभिव्यक्ति का उपयोग सूची I में 97 प्रविष्टियों में से केवल 3 में किया जाता है, जिनमें से एक प्रविष्टि 54 है, अन्य दो प्रविष्टियां 52 और 56 हैं। दिलचस्प बात यह है कि सूची II में प्रविष्टि 23 में "जनहित" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है, हालांकि यह सूची I के प्रावधानों के अधीन खानों और खनिज विकास के विनियमन से भी संबंधित है। " सार्वजनिक हित "जो एक घोषणा के रूप में एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 की धारा 2 में स्थान पाता है। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 2 इस प्रकार हैः

" एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोक हित में यह समीचीन है कि संघ को विनियमन को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए -

खानों और खनिजों का विकास जो इसके बाद प्रदान किया गया है।

28. इसलिए जैसा कि विद्वान महान्यायवादी द्वारा उचित रूप से तर्क दिया गया है, पट्टा के मानित विस्तार के लाभ से इनकार करने का कर्नाटक सरकार का निर्णय सार्वजनिक कानून के दायरे में है और इसलिए उक्त निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाया जा सकता है।

केवल एक उच्च न्यायालय में जो प्रशासनिक कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ निहित है। एन. सी. एल. टी., कुछ विशिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए एक विशेष क़ानून का एक प्राणी होने के नाते, प्रशासनिक कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति रखने वाले उच्च न्यायालय का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा न्यायिक जवाबदेही बनाम भारत संघ पर उप समिति में देखा गया है।

एक उच्च कानून की अवधारणा से, अर्थात् संविधान। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 61 इस स्थिति को इस प्रकार दर्शाता हैः

" लेकिन जहां, इस देश की तरह और इंग्लैंड के विपरीत, एक लिखित संविधान है जो मौलिक और उस अर्थ में एक "उच्च कानून" का गठन करता है और संविधान के तहत अनुदान प्राप्तकर्ताओं के रूप में राज्य के विधायिका और अन्य अंगों पर एक सीमा के रूप में कार्य करता है, संसदीय घटनाओं की सामान्य घटनाएं हैं।

संप्रभुता प्राप्त नहीं होती है और अवधारणा 'सीमित सरकार' में से एक है। न्यायिक समीक्षा, वास्तव में, एक घटना है और इस अवधारणा से प्रवाहित होती है कि मौलिक और उच्च कानून राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों की सीमाओं की कसौटी है जो संविधान के तहत शक्ति और अधिकार प्राप्त करते हैं और यह कि न्यायिक शाखा राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों की सीमाओं की कसौटी है।

संविधान का दुभाषिया और इसलिए राज्य के विभिन्न अंगों के अधिकार की सीमाओं का दुभाषिया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्राउन के साथ ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है और इसकी शक्तियाँ असीमित हैं और न्यायालयों के पास न्यायिक शक्तियाँ नहीं हैं।

विधान की समीक्षा "।

29. एन. सी. एल. टी. एक सिविल न्यायालय भी नहीं है, जिसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के आधार पर सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, सिवाय उन मुकदमों के, जिनमें उनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है। इसलिए एन. सी. एल. टी. केवल ऐसी शक्तियों का प्रयोग क़ानून द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा के भीतर कर सकता है, जिसके संबंध में कानून को प्रशासित करने के लिए कहा जाता है। इसलिए, आइए अब हम एन. सी. एल. टी. को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को देखें।

एन. सी. एल. टी. की अधिकारिता और शक्तियाँ

30. एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. का गठन आई. बी. सी., 2016 के तहत नहीं बल्कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 और 410 के तहत किया गया है। इसके बिना

408 कंपनी अधिनियम, 2013 में बस इतना कहा गया है कि केंद्रीय

24 (1991) 4 एस. सी. सी. 699 एम/एस एम्बेसी संपत्ति विकास पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

सरकार एक राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगी जो कंपनी अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत उसे प्रदान की गई हैं या हो सकती हैं। जहां तक एन. सी. एल. ए. टी. का संबंध है, कंपनी अधिनियम की धारा 410 में केवल यह कहा गया है कि केंद्र सरकार

न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करना। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले पूरे कंपनी अधिनियम में फैले हुए हैं। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 420 और 424 व्यापक रूप से आदेश पारित करने से पहले केवल एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का संकेत देती हैं। हालांकि, कंपनी अधिनियम में कोई अलग प्रावधान नहीं हैं, जो विशेष रूप से

एन. सी. एल. टी. की अधिकारिता और शक्तियाँ।

31. इसके विपरीत, आई. बी. सी., 2016 की धारा 60 की उप-धारा (4) और (5) क्रमशः शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के बारे में संकेत देती हैं।

एन. सी. एल. टी. धारा 60 पूरी तरह से इस प्रकार हैः

" निगमित व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। - (1) द.

दिवाला समाधान के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

और निगमित व्यक्तियों सहित निगमित व्यक्तियों के लिए परिसमापन

देनदार और उनके व्यक्तिगत गारंटर होंगे - राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण जिसके पास क्षेत्रीय अधिकार हैं

उस स्थान पर अधिकारिता जहाँ का पंजीकृत कार्यालय

निगमित व्यक्ति स्थित है।

(2) उप-धारा (1) के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और इसके बावजूद

इस संहिता में निहित इसके विपरीत कुछ भी, जहां

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन

निगमित देनदार की कार्यवाही लंबित है

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, संबंधित एक आवेदन

दिवाला समाधान या [किसी निगमित गारंटर या व्यक्तिगत गारंटर का परिसमापन या दिवालियापन, जैसा भी मामला हो सकता है

ऐसे निगमित देनदार] को इस तरह के समक्ष दायर किया जाएगा।

(3) दिवाला समाधान प्रक्रिया या [परिसमापन या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में लंबित किसी निगमित गारंटर या व्यक्तिगत गारंटर का दिवालियापन, जैसा भी मामला हो, न्यायनिर्णायक को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

दिवाला समाधान प्रक्रिया से निपटने वाला प्राधिकरण या

ऐसे निगमित देनदार की परिसमापन कार्यवाही।

(4) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण निहित होगा।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण की सभी शक्तियों के साथ

इस उद्देश्य के लिए इस संहिता के भाग III के तहत विचार किया गया

उप-धारा (2)।

कंपनी विधि न्यायाधिकरण के पास विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। या निपटान करें -

(क) द्वारा या उसके विरुद्ध कोई आवेदन या कार्यवाही

निगमित देनदार या निगमित व्यक्ति;

((ख) निगमित देनदार या निगमित व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दावा, जिसमें भारत में स्थित उसकी किसी सहायक कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए दावे शामिल हैं; और

(ग) दिवाला समाधान या परिसमापन कार्यवाही से या उसके संबंध में उत्पन्न प्राथमिकताओं का कोई प्रश्न या कानून या तथ्यों का कोई प्रश्न।

इस संहिता के तहत निगमित देनदार या निगमित व्यक्ति।

(6) सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी के लिए निर्दिष्ट सीमा की अवधि की गणना करने में

निगमित देनदार द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमा या आवेदन

जिसके तहत स्थगन का आदेश दिया गया है

भाग, वह अवधि जिसके दौरान इस तरह की रोक लागू है

बहिष्कृत किया जाएगा।

32. आई. बी. सी., 2016 की धारा 60 की उप-धारा (4) में कहा गया है कि एन. सी. एल. टी. के पास डी. आर. टी. की सभी शक्तियां होंगी जैसा कि भाग के तहत विचार किया गया है।

उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए संहिता का III। उप-धारा (2) एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां दिवाला समाधान या परिसमापन या

कॉरपोरेट गारंटर या कॉरपोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर का दिवालियापन तब लिया जाता है जब ऐसे कॉरपोरेट देनदार की सी. आई. आर. पी. या परिसमापन कार्यवाही पहले से ही एन. सी. एल. टी. के समक्ष

लंबित होती है। उप-धारा (2) का उद्देश्य (ए) किसी निगमित देनदार की सी. आई. आर. पी. या परिसमापन कार्यवाही और (बी) दिवाला समाधान या

एक ही निगमित देनदार के निगमित गारंटर या व्यक्तिगत गारंटर का परिसमापन या दिवालियापन, ताकि एक ही मंच दोनों से निपट सके। यह यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कॉर्पोरेट देनदार और मैसर्स एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का सी. आई. आर. पी. पी. वी. टी. हो।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

एक ही निगमित देनदार के व्यक्तिगत गारंटरों का दिवाला समाधान अलग-अलग मंचों से पहले अलग-अलग मार्गों पर आगे नहीं बढ़ता है, जिससे हितों, स्थितियों या निर्णयों का टकराव होता है। 33. यदि धारा 60 की उप-धारा (2) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगमित देनदार और उसके गारंटरों का दिवालिया संकल्प

व्यक्तियों और फर्मों के दिवाला मामलों के संबंध में। इस में है धारा 60 (1) के विपरीत, जिसमें एनसीएलटी को दिवाला समाधान और निगम के परिसमापन के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।

निगमित देनदार और व्यक्तिगत गारंटर सहित व्यक्ति। "व्यक्तिगत गारंटर" शब्द को धारा 5 (22) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी निगम को गारंटी के अनुबंध में जमानती है। ऋणी। इसलिए धारा 60 की उप-धारा (2) का उद्देश्य धारा 17 9 (1) के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी भ्रम से बचना और यह सुनिश्चित करना है कि जब भी किसी निगमित देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू की जाए, तो एन. सी. एल. टी.

न केवल ऐसे निगमित के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण होगा ऋणी, लेकिन उस व्यक्ति के संबंध में भी जो धारा के तहत डी. आर. टी. के नामकरण के बावजूद ऐसे निगमित ऋणी के लिए मुचलके के रूप में खड़ा था।

179 (1) के दिवाला समाधान के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में

व्यक्तियों। यही कारण है कि धारा 60 की उप-धारा (2) में "इस संहिता में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद" वाक्यांश का उपयोग किया गया है।

34. धारा 17 की उप-धारा (2) डी. आर. टी. को (i) द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही को स्वीकार करने और उसका निपटारा करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।

व्यक्तिगत देनदार (ii) व्यक्तिगत देनदार द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दावा और (iii) प्राथमिकताओं का कोई प्रश्न या कोई अन्य प्रश्न चाहे वह व्यक्तिगत देनदार की दिवालियापन और दिवालियापन से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले कानून या तथ्यों का हो। धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (ए), (बी) और (सी) धारा 60 की उप-धारा (5) के खंड (ए), (बी) और (सी) के समान हैं। इसलिए एकमात्र कारण है कि उप-धारा (4)

धारा 60 में निगमित यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एन. सी. एल. टी. अधिकारिता का प्रयोग करेगी- (1) न केवल निगमित देनदार के संबंध में धारा 60 की उप-धारा (5) के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट मामलों का मनोरंजन और निपटान करने के लिए, (2) बल्कि निगमित देनदार के संबंध में धारा 60 की उप-धारा (5) के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट मामलों का मनोरंजन और निपटान करने के लिए भी।

जब भी धारा 60 (2) में बताई गई आकस्मिकता उत्पन्न होती है, धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट मामले।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. दिलचस्प बात यह है कि भाग II और दोनों में अलग-अलग प्रावधान हैं।

आई. बी. सी., 2016 का भाग III दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करता है। जबकि भाग II में निहित धारा 63 इस संबंध में दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है।

किसी भी मामले में जिस पर एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. का अधिकार क्षेत्र होगा, भाग III में निहित धारा 180 सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है।

किसी भी मामले का जिस पर डी. आर. टी. या डी. आर. ए. टी. का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि धारा 63 की तुलना में धारा 180 में कुछ और है, जिसकी सराहना की जा सकती है यदि दोनों को एक सारणीबद्ध कॉलम में प्रस्तुत किया जाए।

धारा 180

धारा 63

कोई भी दीवानी अदालत या प्राधिकरण। (1) किसी भी दीवानी अदालत या प्राधिकरण को किसी पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

को

किसी भी वाद या कार्यवाही के संबंध में वाद या कार्यवाही-कोई भी मामला जिस पर राष्ट्रीय

किसी भी मामले में जिस पर

कंपनी विधि न्यायाधिकरण या

ऋण वसूली न्यायाधिकरण या

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय

ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण

न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र है -

इस संहिता के तहत अधिकार क्षेत्र है।

यह कोड। दीवानी अदालत नहीं होगी

(2) कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।

किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा

अधिकार क्षेत्र।

की गई किसी कार्रवाई के संबंध में, या

किसी के अनुसरण में लिया जाना है

ऋण पर प्रदत्त शक्ति

वसूली न्यायाधिकरण या ऋण

द्वारा वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण या इस संहिता के तहत।

यद्यपि धारा 180 की उप-धारा (2) में जो पाया गया है वह नहीं है।

धारा 63 नामक भाग 2 में संबंधित प्रावधान में पाया गया, इसी तरह का प्रावधान धारा 64 नामक एक असंबंधित प्रावधान में शामिल किया गया है, जो मुख्य रूप से आवेदनों के त्वरित निपटान से संबंधित है। इस प्रकार, कुछ गड़बड़ प्रतीत होती है। हालाँकि, हम इस मामले में इसके बारे में चिंतित नहीं हैं और हमने इसका संदर्भ केवल धारा 60 की उप-धारा (4) के कारण दिया है, जो डी. आर. टी. की सभी शक्तियों को एन. सी. एल. टी. पर निहित करता है।

36. उप-धारा (4) और उप-धारा के संयुक्त पठन से

(2) धारा 60 के साथ धारा 17 की यह स्पष्ट है कि उनमें से कोई भी इस सवाल की कुंजी नहीं रखता है कि क्या एन. सी. एल. टी. के पास एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके तहत जारी नियमों के तहत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर अधिकार क्षेत्र होगा। संभवतः इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाला एकमात्र प्रावधान मेसर्स एम्बेसी प्रॉपर्टी डिवेलपमेंट्स पी. वी. टी. की उप-धारा (5) होगी।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

सार्वजनिक कानून के दायरे में आने वाले किसी मामले के संबंध में सांविधिक प्राधिकरण को किसी भी तरह की कल्पना से दिवालिया होने से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले वाक्यांश के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। उप-धारा (5) के खंड (ग) में दिखाई देने वाला संकल्प। उदाहरण के लिए, हम एक ऐसे मामले को लेते हैं जहां एक निगमित देनदार को सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के समय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के हाथों एक आदेश का सामना करना पड़ा था। यदि आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) की व्याख्या कानून या तथ्यों के सभी प्रश्नों को शामिल करने के लिए की जाती है, तो एक अंतरिम समाधान पेशेवर /

समाधान पेशेवर तब आयकर अधिनियम की धारा 260 ए के तहत वैधानिक अपील करने के बजाय एनसीएलटी के समक्ष आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने के अधिकार का दावा करेगा। 1961. इसलिए धारा 60 (5) में निरूपित एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र को बेतुका परिणाम लाने तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। (यह एक अलग मामला होगा, यदि आयकर अधिनियम जैसे कानूनों के तहत कार्यवाही ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी, जिससे कॉर्पोरेट देनदार पर दायित्व स्थिर हो गया था, क्योंकि ऐसे मामलों में, सरकार को देय बकाया धारा 5 (21) के तहत "परिचालन ऋण" अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर आएगा, जिससे सरकार धारा 5 (20) के संदर्भ में एक "परिचालन लेनदार" बन जाएगी। जिस क्षण सरकार को देय राशि का निर्धारण हो जाता है और जो कुछ बचा है वह केवल भुगतान है, सरकार के दावे पर निर्णय लेना होगा और उसका भुगतान केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अर्थात् एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना में निर्धारित तरीके से करना होगा।)

37. अपीलार्थियों की ओर से सभी विद्वान वरिष्ठ वकीलों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि एक अंतरिम समाधान पेशेवर कर्तव्यबद्ध है

धारा 20 (1) के तहत निगमित देनदार की संपत्ति के मूल्य को संरक्षित करने के लिए और यह कि "संपत्ति" शब्द की व्याख्या धारा 3 (27) में कार्रवाई योग्य दावों के साथ-साथ संपत्ति से उत्पन्न होने वाले या आकस्मिक ब्याज, वर्तमान या भविष्य या निहित या आकस्मिक हित के प्रत्येक विवरण को शामिल करने के लिए की गई है और इसलिए अंतरिम समाधान पेशेवर उचित आदेशों के लिए एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित करने का हकदार है, इस आधार पर कि पट्टा एक संपत्ति अधिकार है और एन. सी. एल. टी. के पास निगमित देनदार द्वारा किसी भी दावे को स्वीकार करने के लिए धारा 60 (5) के तहत अधिकार क्षेत्र है।

38. लेकिन उक्त तर्क को इस सरल कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि एक समाधान पेशेवर के कर्तव्य पूरी तरह से अलग हैं [2019] 17 एस. सी. आर.

एन. सी. एल. टी. की अधिकारिता और शक्तियाँ। वास्तव में धारा 20 (1) को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसे आई. बी. सी., 2016 की धारा (vi) के साथ-साथ उसके तहत दिए गए स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

18 (च) (vi) पर निम्नलिखित लिखा हैः

" 18. अंतरिम समाधान पेशेवर के कर्तव्य। - अंतरिम

समाधान पेशेवर निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगे,

अर्थात्ः

(ए)। (बी)।

(सी)।

(डी)। (ई)।

(च) किसी भी संपत्ति का नियंत्रण और अभिरक्षा लेना जिस पर

निगमित देनदार के पास स्वामित्व अधिकार हैं जैसा कि में दर्ज है

निगमित देनदार की बैलेंस शीट, या जानकारी के साथ

उपयोगिता या प्रतिभूतियों का भंडार या कोई अन्य रजिस्ट्री जो परिसंपत्तियों के स्वामित्व को दर्ज करती है

((i)।

((ख)।

(iii)।

((iv)।

(वी)।

(vi) स्वामित्व के निर्धारण के अधीन परिसंपत्तियाँ

एक अदालत या प्राधिकरण;

(जी)। स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद

' परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे अर्थात्ः

(क) न्यास या उसके अधीन निगमित ऋणी के कब्जे में किसी तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ।

जमानत सहित संविदात्मक व्यवस्थाएँ;

((ख) किसी भारतीय या विदेशी सहायक कंपनी की परिसंपत्तियाँ।

निगमित देनदार; और मैसर्स एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

(ग) ऐसी अन्य परिसंपत्तियाँ जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी भी वित्तीय क्षेत्र के परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है।

नियामक "।

39. यदि एन. सी. एल. टी. को सभी निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है।

निगमित देनदार की संपत्ति पर दावों के प्रकार, धारा 18 (च) (vi) ने अदालत या अन्य प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व के निर्धारण के अधीन, उस संपत्ति का नियंत्रण और अभिरक्षा लेने में अंतरिम समाधान पेशेवर के कार्य को नहीं बनाया होगा, जिस पर निगमित देनदार का स्वामित्व अधिकार है। वास्तव में किसी तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली संपत्ति, लेकिन जो संविदात्मक व्यवस्थाओं के तहत निगमित देनदार के कब्जे में है, को विशेष रूप से शब्द की परिभाषा से बाहर रखा जाता है।

" धारा 18 के स्पष्टीकरण के तहत परिसंपत्तियाँ। धारा 20 में प्रयुक्त भाषा के विपरीत धारा 18 और 25 में प्रयुक्त भाषा को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है। धारा 18 अंतरिम समाधान पेशेवर के कर्तव्यों के बारे में बात करती है और धारा 25 समाधान पेशेवर के कर्तव्यों के बारे में बात करती है। ये दोनों प्रावधान "संपत्ति" शब्द का उपयोग करते हैं, जबकि धारा 20 (1) "मूल्य" शब्द के साथ "संपत्ति" शब्द का उपयोग करती है। धारा 18 और 25 में अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है।

" संपत्ति "। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आई. बी. सी., 2016 की धारा 25 (2) (बी) के तहत, समाधान पेशेवर तीसरे पक्ष के साथ कॉर्पोरेट देनदार का प्रतिनिधित्व करने और उसकी ओर से कार्य करने और न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और मध्यस्थता कार्यवाही में कॉर्पोरेट देनदार के लाभ के लिए अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। धारा 25 (1) और 25 (2) (बी) इस प्रकार हैः

" 25. समाधान पेशेवर के कर्तव्य -

(1) समाधान पेशेवर का यह कर्तव्य होगा कि

निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का संरक्षण और संरक्षण,

निगम के निरंतर व्यावसायिक संचालन सहित

ऋणी।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, संकल्प

पेशेवर निम्नलिखित कार्य करेगाः

(अ)।

(बी) तीसरे पक्ष के साथ कॉर्पोरेट देनदार की ओर से प्रतिनिधित्व करें और कार्य करें, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और न्यायिक मामलों में कॉर्पोरेट देनदार के लाभ के लिए अधिकारों का प्रयोग करें।

मध्यस्थता कार्यवाही "।

इससे पता चलता है कि जहां भी कॉर्पोरेट देनदार को न्यायिक, अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में अधिकारों का प्रयोग करना है, समाधान पेशेवर [2019] 17 एस. सी. आर.

इसे शॉर्ट-सर्किट नहीं कर सकते हैं और धारा 60 (5) का लाभ उठाते हुए एन. सी. एल. टी. के समक्ष दावा नहीं कर सकते हैं। 40. इसलिए आई. बी. सी., 2016 के विभिन्न प्रावधानों से निकाली गई वैधानिक योजना के आलोक में यह स्पष्ट है कि जहां भी

निगमित देनदार को एक ऐसे अधिकार का प्रयोग करना होता है जो आई. बी. सी., 2016 के दायरे से बाहर है, विशेष रूप से सार्वजनिक कानून के दायरे में, वे समाधान पेशेवर के माध्यम से, एक बाईपास नहीं ले सकते हैं और इस तरह के अधिकार को लागू करने के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष नहीं जा सकते हैं।

41. वास्तव में इस मामले में समाधान पेशेवर ने प्रारंभिक चरणों में इस कानूनी स्थिति को सही ढंग से समझा प्रतीत होता है। यही कारण है कि जब कर्नाटक सरकार ने 25.05.2018 पर पट्टे की समाप्ति के बाद भी मानित विस्तार का लाभ नहीं दिया, तो समाधान पेशेवर ने एक रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया। 2018 के डब्ल्यू. पी. सं. 23075 में याचिका। 2018 के डब्ल्यू. पी. संख्या 23075 में की गई प्रार्थना इस घोषणा के लिए थी कि खनन पट्टे को 31.03.2020 तक वैध माना जाना चाहिए। यदि एन. सी. एल. टी. सर्वशक्तिमान होता, तो समाधान पेशेवर इस तरह की घोषणा के लिए एन. सी. एल. टी. को ही स्थानांतरित कर देता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे कानूनी स्थिति को सही ढंग से समझते थे।

42. पहली रिट याचिका (2018 का डब्ल्यू. पी. संख्या 23075) दायर करने के बाद, कर्नाटक सरकार ने दावे को खारिज करते हुए 26.09.2018 दिनांकित एक आदेश पारित किया। इसलिए कॉर्पोरेट देनदार का प्रतिनिधित्व करने वाले समाधान पेशेवर ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक ज्ञापन दायर किया जिसमें "एक नया रिट दायर करने की स्वतंत्रता के साथ" रिट याचिका को वापस लेने की मांग की गई।

याचिका "। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज करते हुए बहुत कम विचारशील था और उसने कानून के अनुसार उचित उपायों का सहारा लेने की स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई रिट याचिका का निपटारा किया। शायद इसका फायदा उठाते हुए

स्वतंत्र रूप से, प्रस्ताव आवेदक ने कर्नाटक सरकार द्वारा पारित अस्वीकृति के आदेश के खिलाफ एन. सी. एल. टी. का रुख किया। यदि समाधान पेशेवर द्वारा एन. सी. एल. टी. पर विचार नहीं किया गया था, तो पहली बार में, पट्टे के मानित विस्तार की घोषणा जारी करने के लिए सशक्त होने के लिए, हम यह समझने में विफल हैं कि एन. सी. एल. टी. को अस्वीकृति के आदेश पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति कैसे मानी जा सकती है।

43. तथ्य यह है कि कर्नाटक सरकार 2019 की दूसरी रिट याचिका डब्ल्यू. पी. संख्या 5002 में एन. सी. एल. टी. में वापस जाने के लिए सहमत हुई। और समाधान पेशेवर द्वारा दायर विविध आवेदन का विरोध करना, के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने के समान नहीं होगा

एनसीएलटी। किसी भी मामले में एक न्यायाधिकरण जो एक क़ानून का निर्माण करता है, एक पक्ष द्वारा दी गई किसी भी रियायत द्वारा अधिकार क्षेत्र के साथ नहीं पहना जा सकता है।

मैसर्स एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

44. आई. बी. सी. की धारा 14 के प्रभाव पर बहुत जोर दिया गया था,

2016 पट्टे के माने गए विस्तार पर। लेकिन हमें नहीं लगता कि धारा 14 में दिए गए अधिस्थगन का पट्टा के विस्तार से इनकार करने के सरकार के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। स्थगन का उद्देश्य केवल यथास्थिति बनाए रखना है न कि

उसमें केवल बेदखल न किए जाने का अधिकार है, लेकिन ऐसी संपत्ति के पट्टे के नवीनीकरण का अधिकार नहीं है। वास्तव में न होने का अधिकार धारा 14 (1) (डी) में पाए जाने वाले बेदखल का इससे कोई लेना-देना नहीं होगा।

खनन पट्टा द्वारा विशेष रूप से सरकारी भूमि पर प्रदत्त अधिकार।

कर्नाटक सरकार द्वारा निगमित देनदार को एम. एल. 2293 दिनांक 04.01.2001 में खनन पट्टा विलेख के तहत क्या दिया जाता है, एक निर्दिष्ट अवधि के लिए लौह अयस्क और लाल ऑक्साइड के खनन, खुदाई और पुनर्प्राप्त करने का अधिकार था। पट्टा विलेख में एक अनुसूची होती है

कई भागों में विभाजित। अनुसूची के भाग-1 में पट्टे के स्थान और क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग-II पट्टेदार की स्वतंत्रताओं और विशेषाधिकारों को दर्शाता है। प्रतिबंध और शर्तें जिनके अधीन अनुदान दिया जाता है

इसका आनंद अनुसूची के भाग-III में लिया जा सकता है। अनुदान के बावजूद सरकार के लिए आरक्षित स्वतंत्रताएँ, शक्तियाँ और विशेषाधिकार,

भाग-IV में दर्शाया गया है। यह भाग-IV सरकार को काम करने का अधिकार देता है।

उसी भूमि पर अन्य खनिजों (लौह अयस्क और लाल ऑक्साइड के अलावा) पर, पट्टे के निर्वाह के दौरान भी। इसलिए क्या दिया गया था

निगमित देनदार के लिए विचाराधीन क्षेत्र का एक अनन्य अधिकार नहीं था, ताकि समाधान पेशेवर को अनुभाग का आह्वान करने में सक्षम बनाया जा सके

14 (1) (डी)। धारा 14 (1) (घ) निम्नलिखित स्थितियों पर लागू नहीं हो सकती है -

इस प्रकृति को।

45. इसलिए, ठीक है, पहले प्रश्न का हमारा उत्तर यह होगा कि एन. सी. एल. टी. के पास इसके खिलाफ आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। पूरक निष्पादन के निर्देश के लिए कर्नाटक सरकार

खनन पट्टा के विस्तार के लिए पट्टा विलेख। चूंकि एन. सी. एल. टी. ने एक ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का विकल्प चुना है जो कानून में निहित नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय ने कर्नाटक को इस आधार पर रिट याचिका पर विचार करने में उचित ठहराया गया था कि एन. सी. एल. टी. गैर-न्यायिक था।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रश्न संख्या 2

46. दूसरा सवाल जो हमारे विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या एन. सी. एल. टी. धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करने में सक्षम है।

विशेष रूप से सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के मामले में।

47. यह प्रश्न कर्नाटक सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए उस रुख को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न हुआ है जिसे उन्होंने चुना था

सी. आई. आर. पी. को धोखाधड़ी और मिलीजुली तरीके से निगमित देनदार के संबंधित पक्षों में से एक द्वारा शुरू किए जाने के कारण, एन. सी. एल. टी. के आदेश को एन. सी. एल. ए. टी. के बजाय उच्च न्यायालय में चुनौती दें। कर्नाटक सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में, यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया था (i) कि कॉर्पोरेट ऋणदाता के प्रबंध निदेशक ने एक

06.02.2011 पर एक एम/एस के साथ समझौता। डी. पी. निर्यात, निगमित ऋणदाता की ओर से खनन कार्य करने के लिए और इसके लिए भी

अपने मामलों का प्रबंधन करना और निकाले गए लौह अयस्क का 100% बेचना; (ii) उक्त एम/एस। डी. पी. एक्सपोर्ट्स एक साझेदारी फर्म थी जिसमें श्री एम. पूबालन और उनकी पत्नी भागीदार थे; (iii) कि कॉर्पोरेट देनदार और मेसर्स के नाम से एक स्वामित्व वाली संस्था के बीच दिनांकित एक और समझौता किया गया था। पी. एंड डी. उद्यम, जिनका वही व्यक्ति श्री एम. पूबालन एकमात्र मालिक थे; (iv) कि उक्त समझौता मशीनरी और उपकरणों को किराए पर लेने के लिए था; (v) कि एक वित्त समझौता भी 12.12.2012 पर किया गया था।

निगमित देनदार और मेसर्स नाम की कंपनी के बीच। उद्यम इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि. लिमिटेड, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री एम. पूबालन ने किया; (vi) कि उक्त श्री पूबालन द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों को भेजे गए कुछ संचार थे, जिसमें खुद को कॉर्पोरेट देनदार का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होने का दावा किया गया था; (vii) कि कॉर्पोरेट देनदार और मेसर्स के बीच 16.04.2016 पर एक समझौता ज्ञापन किया गया था। उद्यम इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि. लिमिटेड, जिसका प्रतिनिधित्व उक्त श्री पूबालन ने किया, जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हुए। 11.5 करोड़; (viii) कि उक्त समझौता कथित रूप से फ्लोरिडा में निष्पादित किया गया था, लेकिन गवाह था

चेन्नई में; (ix) कि श्री पूबालन ने निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग के साथ-साथ निगरानी समिति को भी सूचित किया, जिसमें निगमित ऋणदाता के कारण को इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में लिया गया; (x) कि सी. आई. आर. पी. की शुरुआत मेसर्स द्वारा की गई थी। उद्यम इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि. लिमिटेड ने अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री पूबालन द्वारा प्रतिनिधित्व किया; (xi) कि संकल्प आवेदक अर्थात्, एम/एस। एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्रा. लि. लिमिटेड के साथ-साथ वित्तीय लेनदार जिन्होंने सी. आई. आर.

पी. की शुरुआत की, अर्थात् मेसर्स. उद्यम इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि. लिमिटेड सभी संबंधित पक्ष हैं और (xii) जो मैसर्स एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है।

श्री पूबालन ने न केवल सांविधिक प्राधिकरणों के समक्ष निगमित ऋणदाता की ओर से कार्य किया था, बल्कि सी. आई. आर. पी. की शुरुआत करने वाले वित्तीय ऋणदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी थे, अंततः समाधान आवेदक के लाभ के लिए जो वित्तीय ऋणदाता का एक संबंधित पक्ष है। 48. उपरोक्त कथनों के आलोक में, कर्नाटक सरकार ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील के वैधानिक वैकल्पिक उपाय का सहारा लिए बिना अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करना उचित समझा। लेकिन इसमें अपीलकर्ताओं का तर्क है कि धोखाधड़ी और मिलीभगत के आरोपों की जांच एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा भी की जा सकती है और इसलिए सरकार वैधानिक उपाय को दरकिनार नहीं कर सकती थी।

49. इस संबंध में अपीलार्थियों की आपत्ति अच्छी तरह से आधारित है। धारा 65 विशेष रूप से धोखाधड़ी या दुर्भावनापूर्ण दीक्षा से संबंधित है।

कार्यवाही। वह इस प्रकार हैः

" 65. कार्यवाही की धोखाधड़ी या दुर्भावनापूर्ण शुरुआत। -

(1) यदि कोई व्यक्ति दिवालिया समाधान प्रक्रिया या परिसमापन कार्यवाही धोखाधड़ी से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू करता है

संकल्प के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इरादा

दिवाला या परिसमापन, जैसा भी मामला हो, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति पर अधिरोपित कर सकता है -

जुर्माना जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन

यह एक करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है।

(2) यदि, कोई व्यक्ति स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू करता है

निर्णय देने वाले किसी भी व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना लगा सकता है जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा लेकिन एक लाख रुपये तक हो सकता है।

एक करोड़ रुपये। ”

50. दिवाला समाधान के दौरान कॉर्पोरेट ऋणदाता द्वारा किए गए धोखाधड़ी वाले लेन-देन की भी धारा 66 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा जांच की जा सकती है। धारा 69 एक अधिकारी बनाता है

लेनदारों को धोखा देने की दृष्टि से लेनदेन करने के लिए दंड के लिए उत्तरदायी निगमित देनदार और निगमित देनदार। इसलिए, एन. सी. एल. टी. के पास (i) कार्यवाही की धोखाधड़ी से शुरुआत के साथ-साथ (ii) धोखाधड़ी वाले लेनदेन की जांच करने की शक्ति निहित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 65 (1) एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां सी. आई. आर. पी. के समाधान के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए धोखाधड़ी से शुरू किया जाता है।

दिवाला या परिसमापन "।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

51. इसलिए, यदि, जैसा कि कर्नाटक सरकार द्वारा तर्क दिया गया है, सी. आई. आर. पी. की शुरुआत एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग तरीके से की गई थी। अवतार, दिवालिया या परिसमापन के समाधान के वास्तविक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि खदान और खनन पट्टे को घेरने के संपार्श्विक उद्देश्य के लिए, यह पूरी तरह से संबोधित शरारत के दायरे में आएगा।

धारा 65 (1) द्वारा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एन. सी. एल. टी. के पास धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। परिणामस्वरूप, एन. सी. एल. ए. टी. का भी अधिकार क्षेत्र होगा। इसलिए, सी. आई. आर. पी. की धोखाधड़ी की शुरुआत धारा 61 में प्रदान की गई अपील के वैकल्पिक उपचार को दरकिनार करने का आधार नहीं हो सकती है।

निष्कर्ष

52. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि हालांकि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के पास धोखाधड़ी के प्रश्नों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र होगा, लेकिन वे एमएमडीआर अधिनियम, 1957 और उसके तहत जारी नियमों के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, विशेष रूप से जब विवाद वैधानिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के निर्णयों के इर्द-गिर्द घूमते हैं, जिन्हें केवल प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय को उचित ठहराया गया था

रिट याचिका पर विचार करने में और हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। इसलिए याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। देविका गुजराल

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।